

2024-25

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



73वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मण्डल, लेखा परीक्षक, बैंकर्स	3
2	वार्षिक आम बैठक की सूचना	4-6
3	निदेशकों का प्रतिवेदन	7-11
4	सचिवीय लेखा परीक्षण प्रतिवेदन	12-17
5	भारत के लेखा-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	18-19
6	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 25.09.2025 की संशोधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट	20-35
7	वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर कंपनी का स्पष्टीकरण	36
8	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के सदस्यों को लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	37-51
9	पिछले दस वर्षों पर एक नज़र	52
10	31.03.2025 तक की तुलन-पत्र	53
11	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता	54
12	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण	55
13	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर नोट्स	56-77
14	कार्यालयों का स्थान	78



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री उदय शंकर	: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री मदन पाल सिंह	: निदेशक
श्री अरुण कुमार सरकार	: निदेशक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी (सीए 0017)
सनदी लेखाकार
कोलकाता

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा
इलाहाबाद बैंक

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
(भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन)
वेबसाइट : www.hindcables.net

नैगम कार्यालय

167/ए, अजय नगर, (5वीं रोड), कोलकाता - 700075



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
नैगम कार्यालय
167/ए, अजय नगर (5वीं रोड)
कोलकाता 700075



HINDUSTAN CABLES LIMITED
(A Govt of India Undertaking)
CORPORATE OFFICE
167/A, Ajoy Nagar (5th road)
Kolkata 700075

सी आई एन : L31300WB1952GOI020560

ई-मेल : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

वेबसाइट : www.hindcables.net

सी ओ आर पी/एस ई सी/73 ए जी एम/2024-25

दिनांक : 03.10.2025

73वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 73वीं वार्षिक आम बैठक **सोमवार, 14 अक्टूबर 2025** को हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, 167/ए, अजय नगर (5वीं रोड) कोलकाता 700075 में 04.00 बजे अपराह्न में निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक के प्रतिवेदन को विचार करना एवं अपनाना।
2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा तथा उस तारीख का तुलनपत्र के साथ उस पर लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना तथा अपनाना।
3. वर्ष 2025-26 के लिए लेखा-परीक्षक के पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

मीटिंग में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भी भाग लिया जा सकता है।

कृते हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(श्री उदय शंकर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(अतिरिक्त प्रभार)

सेवा में

सभी सदस्यगण, निदेशक एवं लेखापरीक्षक

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (संलग्न सूची के अनुसार)

टिप्पणी :

1. किसी बैठक में भाग लेने एवं वोट देने हेतु अधिकार प्राप्त सदस्य, अपने स्थान पर किसी ऐसे प्रतिनिधि को भाग लेने एवं वोट देने हेतु नामित कर सकते हैं, जो कि कंपनी का सदस्य नहीं हो। प्रतिनिधि-फार्म की एक प्रतिलिपि संलग्नित है, जिसे यदि प्रयोग किया गया हो, तो उसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पूरी तरह से भर कर बैठक के प्रारंभ होने से 48 घण्टा पहले जमा करें।
2. कंपनी के सदस्यों का पंजीयन तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 07.09.2025 से 14.09.2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद कर दिया गया है।



फॉर्म नं. एमजीटी-11

प्राक्सी प्रारूप

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार)

सीआईएन:

कंपनी का नाम:

पंजीकृत कार्यालय:

मैं/हम, के सदस्य होने के नाते उपरोक्त नामित कंपनी के शेयर, एतद्वारा नियुक्त करते हैं।

1. नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर:..... या उसे असफल करना

2. नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर:....., या उसे असफल करना

3. नाम:

पता:

ईमेल आईडी:

हस्ताक्षर:.....

सदस्य(सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :

फोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी :

डीपी आईडी :



..... (स्थान) में दिन..... को पूर्वाह्न/अपराह्न को आयोजित होने वाली कंपनी केवार्षिक आम बैठक/असाधारण आम बैठक में मेरे/हमारे और मेरी/हमारी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में और ऐसे संकल्पों के संबंध में किसी भी स्थगन पर, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

संकल्प सं.

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक के प्रतिवेदन का विचार करना तथा अपनाना।
2. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा तथा उस तारीख तक का तुलन-पत्र साथ में उसपर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन पर विचार करना तथा अपनाना।
3. वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देना।

इस दिन 20..... को हस्ताक्षरित

राजस्ट
टिकट
चिपकाएं

शेयरधारक का हस्ताक्षर

प्रतिनिधि धारकों का हस्ताक्षर

टिप्पणी : प्रभावी होने वाले आदेश में प्राक्सी के रूप में विधिवत पूरा किया होना चाहिए तथा बैठक आरंभ होने के कम के कम 48 घंटा पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारक
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

प्रिय शेयरधारक,

निदेशक मंडल की तरफ से, मुझे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण, लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन तथा लेखा के अवलोकन हेतु कंपनी के कार्य पर 73वां वार्षिक प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी है।

2. कार्य-संपादन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एच. सी. एल. के कर्मचारियों को वी आर एस / वी एस एस की पेशकश करते हुए कंपनी अधिनियम 1956/2013, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आदि के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए 28.09.2016, अन्य बातों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुआवजे के भुगतान कर 31.01.2017 को कार्य से मुक्त कर दिया गया था।

जैसा कि चीजें आज भी हैं, कंपनी की भूमिका में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी ने कंपनी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत कंपनी को बंद करने की अनुमति दी है।

वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है तथा एच सी एल जैसा कि परिसमापन/समापन के लिए निर्देश दिया गया है के औपचारिकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड अब बंद हो गया है और एक गैर-परिचालित अवस्था में है साथ में कोई संयंत्र, मशीनरी या कर्मचारी या आउटसोर्स कार्याधिकारी नहीं है।



3. वित्तीय परिणाम

वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने रु. 2.74 करोड़ का लाभ (हानि) किया है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के परिणाम की स्थिति का सार नीचे दिये गये हैं :

(रु. लाख में)

		2024-25	2023-24
(क)	कुल राजस्व	411.03	393.58
(ख)	घटाएं : कुल व्यय	847.06	534.14
(ग)	लाभ (हानि) असाधारण मद एवं कर पूर्व :	(436.03)	(140.54)
(घ)	असाधारण मदें	161.84	(3.35)
(ङ)	आयकर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित)	-	(303.38)
(ड)	वर्ष के लिए लाभ(हानि)	(274.19)	(447.27)

4. शेयर पूंजी

कंपनी का अधिकृत पूंजी रु. 6000 करोड़ है। 31.03.2025 तक अभिदत्त तथा चुकता पूंजी रु. 10 प्रति के 4865881125 इक्विटी शेयर में से विभाजित कर रु. 4865.88 करोड़ पर पहुंच गया है।

5. उधारी

वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने कोई उधार नहीं लिये हैं।

6. राष्ट्रीय कोष को अंशदान

आयकर, ठेकेदारों और परामर्श सेवाओं पर टीडीएस, जीएसटी, दरें और कर आदि के माध्यम से राष्ट्रीय खजाने में कंपनी का योगदान कुल मिलाकर 0.49 करोड़ रुपये है।

7. मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी अधिनियम 1956/2013, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अन्य प्रासंगिक अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए दिनांक 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के संबंध में, कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को एच सी एल, नैनी यूनिट के 125 कर्मचारियों को छोड़कर, जिन्होंने वी आर एस आवेदन नहीं किया था (जिन्हें एच.ए.एल की एक अनुषंगी एन.ए.ई.एल को स्थानांतरित कर दिया गया) तथा कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों को उनके वी. आर. आवेदन को स्वीकार कर 31.01.2017 को कार्य मुक्त कर दिया गया है।

8. धारित भूमि की स्थिति

कंपनी के पास रूपनारायणपुर, जिला पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल में 947.23 एकड़ जमीन है। कंपनी ने पश्चिम बंगाल सरकार के दो शैक्षणिक संस्थानों (आईटीसी और एनसीपी) के पक्ष में बारामुरी मौजा, रूपनारायणपुर में 8.85 एकड़ जमीन के उपहार विलेख को चुनौती देते हुए आसनसोल कोर्ट के समक्ष एक टाइटल मुकदमा दायर किया है। बारामुरी मौजा में 0.39 एकड़ के एक छोटे से पार्सल के लिए, स्वामित्व रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर पहचान के लिए स्थानीय भूमि राजस्व कार्यालय द्वारा म्यूटेशन रोक दिया गया है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

हैदराबाद में कंपनी द्वारा धारित 324 एकड़ 35 गुंटा भूमि के संबंध में, तेलंगाना सरकार ने संपत्ति के मालिकाना हक का दावा किया और जुलाई, 2018 के दौरान बहाली का आदेश दिया। कंपनी ने हैदराबाद उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त किया और यह अब विचाराधीन है।

9. निदेशकों के दायित्व पर बयान

कंपनी के निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि :

- (i) यह कि वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करते हुए प्रयुक्त खातालेखन मानदण्डों का प्रयोग किया गया है तथा कोई सामग्रिक फेर बदल नहीं की गयी है।
- (ii) यह कि चुनिंदा खातालेखन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है तथा निदेशकों ने निर्णय एवं आंकलन इस प्रकार से किए हैं, कि उचित तथा विवेकपूर्ण हो ताकि 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की सही एवं स्वच्छ छवि मिल सके।
- (iii) यह कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं से बचाव हेतु पर्याप्त खातों के समुचित एवं पर्याप्त रखरखाव का ख्याल रखा गया है।
- (iv) यह कि वार्षिक खातों को कंपनी को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के मद्देनजर एक चालू संस्थान के अनुसार ऐतिहासिक समझौता के अधीन तैयार नहीं किये गये।

10. लेखा परीक्षा समिति

24.03.2025 को आयोजित 369वीं बैठक में निदेशक मंडल ने एक लेखा परीक्षा समिति का पुनः गठन किया, जिसमें श्री मदनपाल सिंह, अध्यक्ष के रूप में, लेखा परीक्षा समिति, श्री अरुण कुमार सरकार सदस्य के रूप में, लेखा परीक्षा समिति और श्री उदय शंकर, सदस्य, लेखा परीक्षा समिति के रूप में सम्मिलित हैं। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण के बारे में अंकेक्षक के साथ समीक्षा और चर्चा करने लेखा की गुंजाइश और अंकेक्षक की टिप्पणियों, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों की समीक्षा और बोर्ड द्वारा संदर्भित कोई भी मामला के लिए होती हैं।

11. निदेशक मंडल

भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 1(15)/2016-पीई-II-भाग-3(ई 15457) दिनांक 15.10.2024 के अनुसार, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के महाप्रबंधक (पीएमएक्स) श्री उदय शंकर को 29.10.2024 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

निदेशक मंडल कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में श्री के. मोहन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के आदेश संख्या 1(15)/2001-पीई.II/सीपीएसई-II (ई-4246) दिनांक 27.09.2024 के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के निदेशक श्री जोसेफ अतुल टी. बारला के स्थान पर तत्काल प्रभाव से श्री अरुण कुमार सरकार, उप सचिव, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किए गए।

निदेशक मंडल, भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक श्री जोसेफ अतुल टी. बारला द्वारा हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बोर्ड की बैठक पूर्व सूचना और एजेंडा पत्रों के अग्रिम वितरण के साथ होती है। बैठकें रणनीति निर्माण, नीति और नियंत्रण, प्रदर्शन की समीक्षा और वैधानिक रूप से आवश्यक मामलों पर विचार करने पर केंद्रित होती हैं।



12. लेखापरीक्षक

वर्ष 2024-25 के लिए, मेसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी (सीए 0017), सनदी लेखाकार को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एवं ए जी) द्वारा नियुक्त किया गया।

13. लेखा परीक्षण समीक्षा

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ, सदस्यों को सांविधिक लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन एवं टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब संलग्नित हैं।

14. शेयरों पर सूचनाएं

शेयर हस्तांतरण का स्थान लेने वाले भारत के राष्ट्रपति के नामितों में से हैं। 31 मार्च, 2025 को शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार था:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	4865881125	100.00
	कुल	4865881125	100.00

कंपनी CIN U31300WB1952GOI020560 वाला एक असूचीबद्ध इकाई है।

पिछली 3 वार्षिक आम बैठकें 28.12.2022 22.11.2023 और 28.10.2024 को कोलकाता में आयोजित की गईं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

15. आभार ज्ञापन

कंपनी का निदेशक मण्डल, भारी उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार से प्राप्त समर्थन, निर्देश एवं सहायता हेतु आभारी है। निदेशकगण भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक तथा वाणिज्यिक लेखा-परीक्षण के प्रमुख निदेशक के कार्यालयों द्वारा सहयोगिता एवं समर्थन हेतु उनको भी धन्यवाद देते हैं।

इस अवसर पर निदेशकगण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में कंपनी के अनुबद्धित कार्यकर्ताओं के सहयोगिता एवं योगदान हेतु सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

पंजीकृत कार्यालय

167/ए, अजय नगर, (पांचवीं रोड)

कोलकाता 700 075

दिनांक : 23.09.2025

(उदय शंकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



राजकिशोर राम
पेशेवर कंपनी सचिव

दक्षिणायन अपार्टमेंट
39, ब्रीजी रोड, एफ-बी-2
कोलकाता-700084, पश्चिम बंगाल
मोबाइल नं.9903880503
ईमेल: csrkram@gmail.com

सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) के अनुपालन स्वरूप तथा कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9, सचिवीय लेखा-परीक्षण पर निर्देशीय टिप्पणी के साथ माना जाए)

इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया का (रीलीज 1.2)

सेवा में

सदस्यगण

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

167/ए, अजय नगर, संतोषपुर,

कोलकाता-700075, पश्चिम बंगाल

- मैंने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 167/ए, अजय नगर संतोषपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है का 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष (जिसे इसके बाद 'समीक्षाधीन वर्ष' कहा जाएगा) के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षण किया है, जिनके पास सी आई एन यू 31300 डब्ल्यू बी 1952 जी ओ आई 020560 है (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा)। उक्त सचिवीय लेखा-परीक्षण को (रीलीज 1.2) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) के अनुपालन स्वरूप तथा कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक) अधिनियम, 2014 के नियम 9, सचिवीय लेखा-परीक्षण पर निर्देशीय टिप्पणी के अनुसार किया गया, जिससे मुझे इनके द्वारा नैगम आचार एवं विभिन्न संविधानों, अधिनियमों, दिशानिर्देशों के तहत सांविधिक अनुपालनों के आंकलन करने का यथेष्ट आधार उपलब्ध कराया है, जिससे मैं निम्नलिखित तरीके से इस प्रतिवेदन में अपना मत व्यक्त करता हूँ।
 - सचिवीय अधिसूचना के सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी के बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म एवं भरे हुए रिटर्नों तथा कम्पनी द्वारा रखे गये अन्य रिकॉर्डों, जो मुझे दिखाए गये, उपरोक्त लेखा-परीक्षण के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों की सूचनाओं के आधार पर, मैं प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम समझ के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली के बारे में नीचे सूचीबद्ध कुछ अपवादों के साथ वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और मेरे विचार में कंपनी पर्याप्त बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र को बनाए रख रही है, जिस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है।
 - मैंने सचिवीय अनुपालन प्रतिवेदन का परीक्षण हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान तक रखी गई तथा लेखा-परीक्षण के दौरान मुझे उपलब्ध कराई गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्मों एवं रिटर्नों के आधार पर किया है, जिन्हें निम्नलिखित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार रखा गया था :
- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं इसके तहत बनाये गये नियम;

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(ii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 एवं इसके तहत बनाये गये विनियमन एवं कानून:

4. मेरी समझ से तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना और दस्तावेजों के आधार पर, कंपनी ने अपनी स्थिति को गैर-सूचीबद्ध कंपनी में बदल दिया है और प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने दिनांक 28.09/2016 के पत्र के माध्यम से कंपनी को बंद करने/समाप्त करने के लिए पहले ही अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा प्रबंधन द्वारा यह सूचित किया गया है कि एचसीएल ने 31/01/2017 से अपने सभी कर्मचारियों को कंपनी से मुक्त कर दिया है और इसके अलावा कंपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार परिसमापन/समापन की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास कर रही है।
5. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार परिसमापन/समापन की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास कर रही है और कंपनी के प्रबंधन द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी और स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि कंपनी को अब आवश्यक लिस्टिंग अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी ने अपनी स्थिति को एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी में बदल दिया है।
6. मैं अपनी सर्वोत्तम समझ के अनुसार यह भी रिपोर्ट करता हूं कि,
 - क) कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत रूप से प्रतिस्थापित नहीं है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अतुल टी. बारला (डीआईएन.10122179) ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और श्री अरुण कुमार सरकार (डीआईएन 10795153) को दिनांक 27.09.2024 को कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया। कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री कोठेनाथ मोहन (डीआईएन.08385809) ने भी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और श्री उदय शंकर (डीआईएन.10842939) को एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय) द्वारा जारी दिनांक 29.10.2024 के पत्र द्वारा कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। श्री विवेक नारायण (डीआईएन 09689053) को भी दिनांक 03.07.2024 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिये, हालांकि दस्तावेजों की कमी यानी डीआईएन, केवाईसी, डीएससी के कारण, श्री पंकज कुमार का कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं हो सका।
 - (ख) बोर्ड की बैठकों के आयोजन के बारे में सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गयी है। एजेंडा तथा एजेंडा पर विस्तृत द्रष्टव्य पहले ही भेजे गये थे तथा बैठक के पूर्व एजेंडा मदों पर आगे की सूचना एवं स्पष्टीकरण को पाने तथा प्राप्त करने हेतु तथा बैठक की अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।



(ग) बहुमत का निर्णय माना जाता है तथा कार्यवृत्त में रिकार्ड किया गया है।

7. कम्पनी के प्रबंधन द्वारा मेरे समक्ष यह तथ्य रखा गया कि कम्पनी पर सामान्यतया लागू कानूनों के अनुपालन के प्रतिवेदन को बोर्ड के समक्ष समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है तथा कंपनी में, इसके कार्य के आकार के अनुसार निदेशक मण्डल को प्रतिवेदित करने तथा व्यवसाय के उपयोग क्षेत्रों एवं कंपनी पर सामान्यतया लागू कानूनों के अनुपालन एवं निगरानी हेतु उचित प्रणाली एवं विधि उपस्थित है।

8. मैं आगे बताता हूँ कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में, मेरे पास निम्नानुसार टिप्पणियाँ हैं:

i. हमारी सर्वोत्तम समझ के अनुसार, 'मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक' अधिमानतः कंपनी सचिव और / या मुख्य वित्तीय अधिकारी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) के अनुसार कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाना आवश्यक है, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के तहत कंपनी 'प्रबंधकीय' कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक' अध्याय XIII के नियम 8 के प्रावधानों के तहत जांच के तहत अवधि के दौरान कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है।

ii. मुझे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 सहपठित अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में कोई रिपोर्ट या मिनट या कोई अन्य दस्तावेज नहीं मिला है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा मुझे यह बताया गया है कि कंपनी 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार बंद और गैर-कार्यात्मक है और भारी उद्योग मंत्रालय आमतौर पर बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति करता है, हालांकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशक की क्षमता में ऐसा कोई निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।

(iii) यह कि मेरे समक्ष निदेशक कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में कोई रिपोर्ट या कार्यवृत्त या कोई अन्य कागजात नहीं आया है चूंकि कंपनी समीक्षाधीन अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।

(iv) चूंकि कंपनी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा निर्देशित परिसमापन/समापन के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है, आंतरिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के प्रावधान के अनुसार नियुक्त नहीं किये गये हैं।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(v) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट यानी www.mca.gov.in के अनुसार, कंपनी ने अपनी स्थिति को सूचीबद्ध इकाई से गैर-सूचीबद्ध इकाई में बदल दिया है। इसके अलावा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाजार में कोई फ्लोटिंग शेयर उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास आज की तारीख में कंपनी की 100% हिस्सेदारी है।

(VI) आज की तारीख में कंपनी अभी तक कार्यशील गैर-संगत है।

इस प्रतिवेदन को इसी तिथिनुसार के मेरे पत्र के साथ पढ़ा जाना है जिसे अनुलग्नक क के तौर पर संलग्नित किया गया है जो कि इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग है।

राजकिशोर राम

पेशेवर कंपनी सचिव

सदस्यता सं. A22447, सी. पी. सं. : 16589

यूडीआईएन : A022447G001310635

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 22 सितम्बर 2025

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

राजकिशोर राम
पेशेवर कंपनी सचिव

दक्षिणायन अपार्टमेंट
39, ब्रीजी रोड, एफ-बी-2
कोलकाता-700084, पश्चिम बंगाल
मोबाइल नं.9903880503
ईमेल: csrkr@gmail.com

‘अनुलग्नक - क’

(31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन)

सेवा में,

सदस्यगण

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

167/ए, अजय नगर, संतोषपुर,

कोलकाता-700075, पश्चिम बंगाल

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त तिथि पर मेरा सचिवीय लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेख के रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। मेरा दायित्व है कि कंपनी के आकार के अनुसार बोर्ड की विधि तथा अनुपाल प्रबंधन प्रणाली के पर्याप्त होने के बारे में, उक्त लेखा-परीक्षण के दौरान मुझे उपलब्ध कराए गये सचिवीय रिकार्डों एवं अधिकारियों तथा कंपनी के एजेंटों द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर अपना मत अभिव्यक्त करूँ।
2. मैंने अपनी जानकारी में यथा-उपयुक्त लेखा-परीक्षण विधि का प्रयोग किया है, जिससे सचिवीय रिकार्डों की शुद्धता के बारे में पर्याप्त आश्वासन एवं सटीकता प्राप्त कर सकूँ। इनका सत्यापन परीक्षण स्तर पर किया गया है ताकि इस बात की जाँच हो सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। मेरा मत है कि मेरे द्वारा अनुपालित विधि एवं प्रणाली मेरे मत के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है।
3. मैंने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय रिकार्डों, खाता-बहियों एवं कम्पनी के बोर्ड एवं विभिन्न समितियों द्वारा लिए गये निर्णयों की सत्यता, उपयुक्तता एवं आधार की जाँच नहीं की है। मैंने बोर्ड की विधि एवं अनुपालन की विधि की जाँच की है ताकि मैं इस बारे में अपना मत बना सकूँ कि उपरोक्त प्रतिवेदन में सदर्भित कंपनी अधिनियम 2013 तथा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के प्रावधानों के अनुसार क्या बोर्ड की समितियाँ, कंपनी के सदस्यों एवं अन्य प्राधिकारियों से अनुमोदन लेने हेतु पर्याप्त विधि स्थापित है कि नहीं।
4. आवश्यकतानुसार, मैंने प्रभावी कानूनों, नियमों एवं अधिनियमों आदि के अनुपालन के विषय में प्रबंधन के मत प्राप्त किये हैं। पर प्रबंधन से यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि यह कम्पनी एस आई सी ए, 1985 की धारा (3) की उप-धारा (1) के अनुच्छेद ‘ओ’ के तहत एक बिमार औद्योगिक कंपनी बन गई है तथा यह कम्पनी बोर्ड ऑफ इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रीकांस्ट्रक्शन (बी आई एफ आर) के तहत सन 2002 में केस सं. 505/2002 द्वारा पंजीकृत है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 28.09.2016 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी को बंद करने की स्वीकृति प्रदान की है। ‘इसके अलावा प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाजार में कोई भी फ्लोटिंग शेयर उपलब्ध नहीं है और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के राष्ट्रपति के पास आज की तारीख में कंपनी की 100% हिस्सेदारी है।’

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

5. नैगम एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों अधिनियमों, मानदण्डों आदि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। मेरा परीक्षण केवल अनुपालन विधियों के सत्यापन तक ही सीमित रहा है।
6. सचिवीय लेखा-परीक्षण ना तो कंपनी के भविष्य में सफल होने का आश्वासन है, ना ही यह प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के प्रचालन की दक्षता या प्रभावकारिता का आश्वासन है।

राजकिशोर राम

पेशेवर कंपनी सचिव

ए सी एस सं. 22447, सी पी सं. 16589

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 22 सितम्बर 2025



गोपनीय/ गति डाक

महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान) का कार्यालय
1, काउंसिल हाउस-स्ट्रीट,
कोलकाता - 700 001



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं कर्तव्यम्
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या 439 /Report-II /01-04/H. Cables/2025-26

OFFICE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF AUDIT (MINES)
1, COUNCIL HOUSE STREET,
KOLKATA-700 001

दिनांक /Date... 26 SEP 2025

सेवा में,
The Chairman and Managing Director,
Hindustan Cables Limited,
167/A, Ajoy Nagar, (5th Road),
Kolkata - 700 075

विषय:- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अधीन Hindustan Cables Limited
के वर्ष 2024-25 के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत 31 मार्च की समाप्त वर्ष 2024-25 के
लिये Hindustan Cables Limited के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी प्रेषित
की जाती है।

कृपया इस पत्र का पावती भेजें।

अनु यथोपरि।

भवदीया,

(यशोधरा राय चौधरी)

अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (खान)
कोलकाता



भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार निर्दिष्ट संरचना के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुती करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अनुसार भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक, धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर, अधिनियम की धारा 143 (10) के अनुसार निर्दिष्ट खाता-परीक्षण के मानदण्डों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा-परीक्षण के आधार पर अपना मत प्रकाशित करने के उत्तरदायी होंगे। ऐसा कहा गया है कि यह कार्य उन्होंने 25 सितंबर 2025 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है, जो उनकी 19 अगस्त 2025 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है।

मैंने, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के पक्ष से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण स्वतंत्रतापूर्वक, लेखा-परीक्षकों के कागजातों की सहायता लिए बिना किया गया तथा यह प्राथमिक स्तर पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों की पूछताछ तक ही सीमित था तथा साथ ही कुछ खाता-रिकॉर्डों का चुनिंदा परीक्षण किया गया।

वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन के मद्देनजर, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी या पूरक टिप्पणी नहीं है।

कृते - भारत के लेखा नियंत्रक

एवं महालेखा परीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

(यशोधरा राय चौधरी)

अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक (खान)

कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 26 सितंबर 2025



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए लेखापरीक्षा प्रश्नों के आधार पर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है और हमारी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 19.08.2025 के स्थान पर नई लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है।

योग्य राय

हमने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलना-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के नोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि और उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी। कंपनी वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की सभी वस्तुएँ निपटान के लिए रखी गई हैं (नोट 6 देखें)। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर लेखा मानक (एएस 10) के अनुसार, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए रखी गई पीपीई की वस्तुओं को उनकी वहन राशि और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर दर्शाया जाना चाहिए। उक्त लेखांकन मानक के विपरीत, पीपीई की वस्तुओं को लागत में से मूल्यह्रास घटाकर वहन किया जा रहा है। यदि कोई हो, तो लिखित मूल्य से कम प्राप्त होने योग्य मूल्य की सीमा का पता नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, फर्नीचर एवं फिटिंग्स और कार्यालय उपकरणों को एक साथ जोड़ दिया गया है, हालांकि उक्त दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की लागू दरें अलग-अलग हैं। फर्नीचर एवं फिटिंग्स के लिए मूल्यह्रास दर 9.50% और कार्यालय उपकरणों के लिए 6.33% है। फर्नीचर एवं फिटिंग्स और कार्यालय उपकरणों दोनों पर 6.33% की दर से मूल्यह्रास लगाया गया है। इसी प्रकार, कार्यालय भवनों और फ्रैक्टरी भवनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, हालांकि कार्यालय भवनों पर मूल्यह्रास दर 1.58% और फ्रैक्टरी भवनों पर 3.17% है। दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास 3.17% की दर से किया गया है। चालू वर्ष के मूल्यह्रास शुल्क और संचित मूल्यह्रास पर इन विचलनों के प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

हमने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक (एसएस) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही स्वतंत्रता की आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर जोर

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- 1 नोट 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ अनुच्छेद (क) लेखांकन प्रणाली की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने अपने लेखों को चालू व्यवसाय अवधारणा के आधार पर संकलित नहीं किया है। हालाँकि, वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें परिसंपत्तियों के निपटान और देनदारियों के निपटान के मामले में सरकारी निर्देशों का उचित ध्यान रखा गया है।
- 2 नोट 23 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो भारत सरकार को रु. 1,53,92,086.24 सैंकड़ा की राशि के शेयरों के आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि से संबंधित है और प्रबंधन का कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अव्यवहारिकता के बारे में विचार है। शेयरों का आवंटन 2016 से लंबित है।
- 3 इन वित्तीय विवरणों के नोट 18 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें एक एमएसएमई विक्रेता के संबंध में मुकदमेबाजी या कालातीत देयता और एमएसएमई अधिनियम के अनुसार उस पर ब्याज का प्रावधान न करने के संबंध में उल्लेख है, जिसका प्रभाव अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।
- 4 जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के नोट 11 में उल्लेख किया गया है, कंपनी द्वारा वर्तमान में न्यायनिर्णयनाधीन दो लेनदारों के विवादित दावों, जिनकी कुल राशि 31,99,780.00 है, के मामले में न्यायालय के आदेशों के बाद प्राधिकारियों के पास कुल रु. 10,67,973.78 सैंकड़ा जमा किए गए हैं (नोट 26ए और 27 देखें)। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, न्यायालय के आदेश के बाद, कंपनी ने इनमें से एक दावे के संबंध में शत-प्रतिशत मार्जिन मनी के विरुद्ध 14,00,000.00 रुपये की बैंक गारंटी जमा की है (नोट 26बी देखें)। उक्त जमा राशियों/बैंक गारंटी के विरुद्ध कोई देयता स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि प्रबंधन, कानूनी राय के आधार पर, इस बात पर सहमत है कि मामले का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा।



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- 5 अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट 11) के अंतर्गत दर्शाई गई रु.117,529.73 सैंकड़ा की जीएसटी क्रेडिट राशि का प्रबंधन द्वारा पूर्ण प्रावधान किया गया है और संबंधित प्रावधान को अल्पकालिक प्रावधानों (नोट 7) के अंतर्गत अलग से प्रकट किया गया है। जीएसटी क्रेडिट की वसूली अत्यंत संदिग्ध है और इसलिए इसे बोर्ड के अनुमोदन के अधीन बड़े खाते में डाला जाना है और संबंधित प्रावधान को वापस बड़े खाते में डाल दिया गया है। लंबित ऐसे समायोजन, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुल राशि में दोनों की रु. 117,529.73 सैंकड़ा की वृद्धि हुई है।
- 6 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (नोट 11) के अंतर्गत रु.12,82,819.15 सैंकड़ा (स्रोत पर आयकर कटौती सहित) के आयकर भुगतान दिखाया गया है और संबंधित देयता रु.11,82,033.47 सैंकड़ा की सीमा को अल्पावधि प्रावधान (नोट 8) के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। भुगतान किए गए आयकर की वसूली अत्यंत संदिग्ध है, इसलिए इसे बोर्ड की स्वीकृति के अधीन बड़े खाते में डाला जाना है और संबंधित प्रावधान को वापस लिखा जाना है। इसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुल राशि रु.11,82,033.47 सैंकड़ा अधिक दर्शाई गई है। लंबित ऐसी समायोजन, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुल राशि क्रमशः रु.12,82,819.15 सैंकड़ा और रु. 11,82,033.47 सैंकड़ा बढ़ जाती है।
- 7 हैदराबाद में परिसंपत्तियों (31 मार्च 2025 तक शुद्ध बही मूल्य रु.323,137.18, (नोट 6) के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है और संबंधित प्रावधान को अल्पकालिक प्रावधान (नोट 8) के तहत दिखाया गया है। क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति बहुत संदिग्ध है और इसलिए बोर्ड के अनुमोदन के अधीन इसे बड़े खाते में डाला जाना है और संबंधित प्रावधान को वापस लिखा गया है। लंबित ऐसी समायोजन को तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों दोनों की कुल राशि में रु.323,137.18 की वृद्धि हुई है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

कंपनी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लेनदारों के दावों, कर्मचारियों के दावों आदि से संबंधित कई कानूनी मामलों में शामिल है, जैसा कि नोट 17 में उल्लेख किया गया है। प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी/रचनात्मक) हो, जिसके लिए नकदी बहिर्वाह की आवश्यकता होने की संभावना हो, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। आकस्मिक देनदारियों



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पौंचवी मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता न हो। जब कोई संभावित या वर्तमान दायित्व हो जहाँ संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। कंपनी के समापन समूह द्वारा दावों को आकस्मिक दायित्व मानने और उनकी मात्रा तय करने के मामले में दिए गए निर्णय को बहुत उच्च माना जाता है। यह निर्णय कोर ग्रुप द्वारा की गई अनेक मान्यताओं और आकलनों पर आधारित है, जिसमें विभिन्न लागू नियमों, विनियमों, प्रथाओं आदि की व्याख्या शामिल है। इन मुकदमों के परिणामों से संबंधित अनिश्चितता, संबंधित राशियों के महत्व और प्रबंधन के निर्णय में निहित व्यक्तिपरकता को देखते हुए, इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।

उपरोक्त प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर विचार करते समय, हमने संबंधित दावों को आकस्मिक देनदारियों और इस प्रकार बताई गई राशियों के रूप में मानने के आधार के रूप में, संबंधित डीलिंग अधिवक्ताओं से कंपनी द्वारा ली गई कानूनी राय और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर विचार किया है।

अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित), कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक जानकारी में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ये रिपोर्टें हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना शासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की चालू/अचालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहाँ लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा (एसएएस) के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है। एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयान के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलतबयान का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलतबयान की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, और हमने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं।



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, का मूल्यांकन करें और यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना पैदा करती है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के उन प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कई महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जो हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं। हम शासन के उन प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- I. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित, हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ए' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहाँ तक लागू हो।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में, हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ख' में निर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण देते हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बही रखी गई है, जैसा कि उन लेखा-बही की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।
 - ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बही के अनुरूप हैं।



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- घ) उपरोक्त पैराग्राफ में अर्हताप्राप्त राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ङ) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- च) कंपनी के निदेशकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के मद्देनजर लागू नहीं होते हैं।
- छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है।
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, यथासंशोधित, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं, जिनके संबंध में देनदारियों का या तो प्रावधान किया गया है या आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है - वित्तीय विवरणों के नोट 17 का संदर्भ लें। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इन लंबित मुकदमों का प्रभाव उनके न्यायिक निर्णय के अधीन है।
- ii. कंपनी ने कोई दीर्घावधि अनुबंध सहित यौगिक अनुबंध नहीं किया है जिसके लिए किसी मामले में निकटतम हानि होते।
- iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष में किसी रकम का हस्तांतरित होने वाला कोई रकम नहीं है।
- iv. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या नहीं, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी या सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।
- v. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या नहीं, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थियों') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।
- vi. हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त खंड (iv) और (v) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- vii. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का अनुपालन वर्ष के लिए लागू नहीं था।
- viii. कंपनी अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित किया गया है और ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN: 302039E

(सीए श्यामसुंदर रॉय)
साझेदार
सदस्यता संख्या 053569
IN: 25053569BPUBAK4881
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.09.2025

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट



गुहा नंदी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
 कॉमर्स हाउस,
 पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
 2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
 कोलकाता - 700 013
 दूरभाष: 033-22132929, 22132930
 ईमेल: guhanandi@gmail.com

‘अनुलग्नक - क’
 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
 के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा
 परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं
 पर रिपोर्ट’ शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और उन जाँचों के आधार पर जिन्हें हमने आवश्यक समझा, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

(a) (A) कंपनी ने अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं;

(ख) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(i)(क)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है। तथापि, उपर्युक्त अचल संपत्ति रजिस्टर के अभाव में, यदि कोई विसंगतियाँ थीं, तो उनका पता नहीं लगाया जा सका। भूमि के संबंध में, कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और परिणामस्वरूप, कंपनी के कब्जे में कुल भूमि क्षेत्रफल और यह भार या प्रतिकूल कब्जे से मुक्त है या नहीं, इसका पता नहीं लगाया जा सका।

(ग) (ड़) अचल संपत्तियों के मात्रात्मक रिकॉर्ड के अभाव में, कंपनी के कुल भूमि क्षेत्र की पहचान हमारे द्वारा नहीं की जा सकी। हालाँकि, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास स्थानारायणपुर इकाई में कुल 947.23 एकड़ भूमि क्षेत्र है, जिसमें से हमने स्थानारायणपुर में 905.84 एकड़ भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज देखे हैं। इसके अलावा, हैदराबाद में भूमि के संबंध में, 324 एकड़ 35 गुंटा भूमि क्षेत्र के स्वामित्व के दस्तावेजों की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई गई है, जिसके अनुसार उक्त भूमि कंपनी के नाम पर है। इस प्रकार, कंपनी के पास स्थानारायणपुर इकाई में नीचे दिए गए प्रास्य के अनुसार 41.39 एकड़ भूमि क्षेत्र है, जिसके संबंध में स्वामित्व के दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (रु.)	कंपनी के नाम पर धारित	चाहे वह प्रमोटर हो, निदेशक हो, उनके रिश्तेदार हों या कर्मचारी हों	धारित अवधि - जहाँ उपयुक्त हो, सीमा बताएँ	कारण - कंपनी के नाम पर धारित न होने का
भूमि	15,45,598	स्थानारायणपुर भूमि के संबंध में, कुल क्षेत्रफल 947.23 एकड़ में से 905.84 एकड़ के स्वामित्व विलेख उपलब्ध हैं। शेष 41.39 एकड़ भूमि में से, 29.86 एकड़ के लिए राजपत्र अधिसूचना, कब्जा प्रमाण पत्र और बरामदा उपलब्ध हैं, 0.39 एकड़ के लिए अधिकार अभिलेख/बरामदा अभी तक अद्यतन नहीं किए गए हैं, 8.85 एकड़ के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध मामला दायर किया गया है और 2.29 एकड़ के लिए कोई कब्जा प्रमाण पत्र, बरामदा/अधिकार अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए आदेश का खंड 3(i)(a)(d) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ङ) जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) (क) कंपनी के पास लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई इन्वेन्ट्री नहीं थी, इसलिए आदेश का खंड 3(ii) कंपनी पर लागू नहीं होता।



गुहा नंदी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
 कॉमर्स हाउस,
 पाँचवी मंजिल, कमरा 8डी और ई,
 2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
 कोलकाता - 700 013
 दूरभाष: 033-22132929, 22132930
 ईमेल: guhanandi@gmail.com

- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा लेखा-बही की जाँच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी कंपनी में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। परिणामस्वरूप, आदेश के खंड iii(a),(b),(c),(d),(e) और (f) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई ऋण नहीं दिया है, कोई गारंटी नहीं दी है या दूसरों को कोई प्रतिभूतियाँ प्रदान नहीं की हैं और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 185 और 186 लागू नहीं होती हैं।
- (v) कंपनी ने जमा राशि या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है और इसलिए आदेश का खंड 3(v) इस वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (vi) कंपनी की विनिर्माण गतिविधियाँ लंबे समय से बंद हैं और भारत सरकार ने कंपनी को बंद करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, इसलिए लागत अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित आदेश का खंड 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर या किसी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तकों में कटौती/उपार्जित राशियाँ आमतौर पर कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के पास इस अवधि के दौरान नियमित रूप से जमा की गई हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर उल्लिखित प्रकृति का कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया 31 मार्च, 2025 तक देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं था, सिवाय नीचे उल्लिखित के।

विवरण	रकम सैकड़ों में रु.
हैदराबाद और रूपनारायणपुर स्थित भूमि के संबंध में संपत्ति कर	517,815.47
कुल	517,815.47

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक विवाद के कारण कंपनी द्वारा निम्नलिखित वैधानिक बकाया राशि जमा नहीं की गई है:

क्र. सं.	कानून	बकाये के प्रकार	फोरम	रु. सैकड़ों में	वर्ष
	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस पर आधारित आयकर अतिरिक्त मांग	सीआईटी (अपील)	12,000	2013-14
	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस पर आधारित आयकर अतिरिक्त मांग	डीसीआईटी कोलकाता	63,880	2020-21
	कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	धारा 14बी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति और धारा 7क्यू के अंतर्गत ब्याज का अधिरोपण	ईपीएफओ, इलाहाबाद	13,500	अप्रैल 2013 से जनवरी 2017

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 3 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- (viii) ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो और कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट न किया गया हो।
- (ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण के साधन सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या बैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमानी आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए आदेश का खंड 3(x) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xi) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है, न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अंतर्गत किसी भी पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ।
- (xiv) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए किसी आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की है, जैसा कि बताया गया है और तदनुसार कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xvi) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर -
- (क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है;
- (ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं;
- (ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित एक मुख्य निवेश कंपनी नहीं है;
- (घ) कंपनी किसी ऐसे समूह से संबंधित नहीं है जिसके समूह में एक से अधिक सीआईसी हों।
- (xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में रु. 4,23,487.47 सैंकड़ा और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 1,28,118.55 सैंकड़ा की नकद हानि हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है, इसलिए आदेश का खंड (xviii) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xix) केंद्र सरकार ने अपने दिनांक 28.09.2016 के पत्र द्वारा कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को बंद करने हेतु अनुमोदित रोडमैप के कार्यान्वयन हेतु कार्यमुक्त किया गया है। कंपनी की सभी विनिर्माण गतिविधियाँ 2005 से बंद थीं। तदनुसार, आदेश का खंड (xix), जो एक परिचालन कंपनी पर लागू होता है, कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xx) कंपनी का अधिनियम की धारा 135(5) के अंतर्गत इस वर्ष कोई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड (xx) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xxi) कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए खंड (xxi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN: 302039E

(सीए श्याम सुंदर रॉय)
भागीदार
सदस्यता संख्या 053569
UDIN: 25053569BPUBAK4881

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 25.09.2025

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 3 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013

दूरभाष: 033-22132929, 22132930

ईमेल: guhanandi@gmail.com

अनुलग्नक - ख

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को
समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
(हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा वित्तीय विवरणों के लिए दिए गए निर्देशों पर रिपोर्ट.

1. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण का खातों की अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का भी उल्लेख किया जाए।

हाँ, सभी लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, जैसा कि हमें बताया गया है, कुछ ऐसे कार्य/लेन-देन हैं जो प्रणाली के बाहर होते हैं, लेकिन कंपनी के खातों पर प्रभाव डालते हैं।

पूर्व की प्रथा के अनुसार, सभी लेन-देन उस सॉफ्टवेयर में मैनुअल रूप से दर्ज किए जाते हैं जो नियमित लेखा पुस्तकों का रखरखाव करता है।

वर्तमान प्रथा के अनुसार, कुछ लेन-देनों के लेखांकन से छूट जाने की संभावना रहती है क्योंकि लेन-देन के निर्माण के समय लेखांकन लेन-देन का प्रवाह स्वचालित नहीं होता है। आईटी प्रणाली के बाहर लेन-देन के वित्तीय प्रभाव अनिश्चित हैं।

2. क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा गया है?

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी ऋण और उस पर ब्याज का पुनर्गठन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बट्टे खाते में डालने की छूट दी गई हो।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 3 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

3. क्या केंद्र/राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।

जैसा कि हमें बताया गया है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है।

गुहा नंदी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

FRN: 302039E

(सीए श्यामसुंदर रॉय)

साझेदार

सदस्यता संख्या 053569

UDIN: 25053569BPUBAK4881

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 25.09.2025

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 3 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
भारत, कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

अनुलग्नक - ग
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के
खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 तक हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन के दायित्व

कंपनी के प्रबंधन पर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण हेतु जारी निर्देश टिप्पणी में दिये गये महत्वपूर्ण अंशों के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों के मानदण्ड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का दायित्व होता है। इन दायित्वों के तहत ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उपायों की रचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव करना होता है, जो कि व्यापार के सुगमतापूर्वक एवं प्रभावकारिता सहित प्रचालन को सुनिश्चित करे तथा कंपनी की नीतियों, संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों से बचाव एवं पहचान, खाता लिखित रिकॉर्डों की सटीकता एवं सम्पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं के समयानुसार प्रकाशन को सुनिश्चित करे, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आवश्यक हैं।

लेखा-परीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत प्रकट करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार की है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना गया है, जो वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है। ये मानदण्ड एवं निर्देश टिप्पणी, जिनका हम अनुपालन करते हैं, लेखा-परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के माध्यम से उचित आश्वासन देते हैं कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं रखा गया और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रिक मामलों में प्रभावी तरीके से प्रचालित हुए हैं।

हमारा लेखा-परीक्षण कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा-साक्ष्य प्राप्त करने हेतु विधियों का निष्पादन करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक नियंत्रण को बनाना एवं प्रचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है। इस क्रम में प्रयुक्त विधि का चुनाव लेखा-परीक्षण के निर्णय के अनुसार होता है, जो कि वित्तीय विवरणों के सामग्रिक गलत बयानी के जोखिम, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न, सहित अनेक मुद्दों पर विचार कर किया जाता है।



गुहा नंदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,

कॉमर्स हाउस,

पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,

2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,

कोलकाता - 700 013

दूरभाष: 033-22132929, 22132930

ईमेल: guhanandi@gmail.com

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तात्पर्य

किसी कंपनी का वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी विधि है, जिसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के बारे में सामान्यतया स्वीकृत खाता लेखन सिद्धांतों के अनुसार पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो सके। किसी कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत वो नीतियाँ एवं विधियाँ होती हैं, जो कि (1) रिकॉर्डों के रख रखाव, कंपनी के लेनदेन एवं संपत्तियों के बारे में पर्याप्त विवरण एवं सटीकता सहित हों; (2) इस बारे में यह आश्वासन दें कि वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक लिखे गये लेनदेन के विवरण सामान्यतया स्वीकृत खाता लेखन मानदण्डों के अनुसार है तथा कंपनी की प्राप्ति एवं व्ययों को कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत तरीकों से ही किया जाता है; एवं (3) किसी भी प्रकार की अनाधिकृत प्राप्तियों या कंपनी की संपत्तियों की बिक्री के निरोध या समयानुसार पहचान के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे, जो कि वित्तीय विवरणों पर सामग्रिक प्रभाव डाल सकती हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित बाध्यताएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना बनती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में किसी भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकता। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

कंपनी ने 2016 से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की है और यह बंद होने की प्रक्रिया में है। कंपनी के पास कंपनी बंद करने की गतिविधियों के लिए नियुक्त एक बंद करने वाले समूह को छोड़कर कोई नियमित जनशक्ति नहीं है। परिणामस्वरूप, कोई औपचारिक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद नहीं है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता महसूस की है, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में:

- पूर्व अवधि के खर्चों को दर्ज करने से बचने के लिए खर्चों की समय पर पहचान की आवश्यकता।
- उचित लेखांकन समायोजन के लिए पुरानी देनदारियों की नियमित समीक्षा।
- आकस्मिक देनदारियों की पहचान, समीक्षा और प्रकटीकरण।
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का नियमित मूल्यांकन ताकि उनकी वहन राशि और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर उनका भुगतान किया जा सके।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवी मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर वर्णित भौतिक कमज़ोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय ऊपर पहचानी गई और बताई गई भौतिक कमज़ोरियों पर विचार किया है और ये भौतिक कमज़ोरियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं, सिवाय इसके कि जैसा कि 'योग्य राय के आधार' पैराग्राफ में कहा गया है।

गुहा नंदी एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

FRN: 302039E

(सीए श्यामसुंदर रॉय)

पार्टनर

सदस्यता संख्या 053569

UDIN: 25053569BPUBAK4881

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 25.09.2025

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एच सी एल)

वैधानिक लेखा परीक्षक (2024-25) के अवलोकन के लिए कंपनी की व्याख्या

क्र.सं.	सांविधिक लेखा-परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन के जवाब
1	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी। कंपनी वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की सभी वस्तुएँ निपटान के लिए रखी गई हैं (नोट 6 देखें)। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर लेखांकन मानक (एएस 10) के अनुसार, सक्रिय उपयोग से हटाई गई और निपटान के लिए रखी गई पीपीई की वस्तुओं को उनकी वहन राशि और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर दर्शाया जाना चाहिए। उक्त लेखांकन मानक के विपरीत, पीपीई की वस्तुओं को लागत में से मूल्यह्रास घटाकर रखा जा रहा है। लिखित मूल्य से कम वसूली योग्य मूल्य की सीमा, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, फर्नीचर और फिटिंग और कार्यालय उपकरण को एक साथ जोड़ दिया गया है, हालाँकि उक्त दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए लागू मूल्यह्रास दरें अलग-अलग हैं। फर्नीचर और फिटिंग के लिए मूल्यह्रास दर 9.50% है और कार्यालय उपकरण के लिए 6.33% है। फर्नीचर एवं फिटिंग्स और कार्यालय उपकरणों, दोनों पर 6.33% की दर से मूल्यह्रास लगाया गया है। इसी प्रकार, कार्यालय भवनों और फ़ैक्टरी भवनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, हालाँकि कार्यालय भवनों पर 1.58% और फ़ैक्टरी भवनों पर 3.17% की दर से मूल्यह्रास लगाया गया है। दोनों प्रकार की संपत्तियों पर 3.17% की दर से मूल्यह्रास लगाया गया है। चालू वर्ष के मूल्यह्रास शुल्क और संचित मूल्यह्रास पर इन विचलनों के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है।	सामान्यतः कंपनी के कब्जे में मौजूद भूमि का बाजार मूल्य उसकी वहन राशि से कहीं अधिक है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में, उनमें से अधिकांश का पूर्णतः मूल्यह्रास हो चुका है और केवल अवशिष्ट मूल्य ही लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है। चूँकि उक्त परिसंपत्तियों के निपटान का निर्णय नहीं लिया गया है और निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना नहीं है, इसलिए परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के दौरान मूल्यह्रास लगाया जाता है। फर्नीचर और कार्यालय उपकरण, कार्यालय भवन और कारखाना भवन को बहुत लंबे समय से खातों में एक साथ रखा गया है। परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में, दोनों को अलग करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। हालाँकि, चूँकि फर्नीचर और कार्यालय उपकरण का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका है, जिसका मूल्यह्रास रु.103.46 सैंकड़ा है और कारखाना और कार्यालय भवन का मूल्यह्रास केवल रु. 440.04 सैंकड़ा है, इसलिए खातों पर प्रभाव बहुत नगण्य है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलना-पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के नोट्स के माध्यम से महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि और उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

योग्य राय का आधार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी। कंपनी वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की सभी वस्तुएँ निपटान के लिए रखी गई हैं (नोट 6 देखें)। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर लेखा मानक (एस 10) के अनुसार, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए रखी गई पीपीई की वस्तुओं को उनकी वहन राशि और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर दर्शाया जाना चाहिए। उक्त लेखांकन मानक के विपरीत, पीपीई की वस्तुओं को लागत में से मूल्यह्रास घटाकर वहन किया जा रहा है। यदि कोई हो, तो लिखित मूल्य से कम प्राप्त होने योग्य मूल्य की सीमा का पता नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, फर्नीचर एवं फिटिंग्स और कार्यालय उपकरणों को एक साथ जोड़ दिया गया है, हालांकि उक्त दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास को लागू दरें अलग-अलग हैं। फर्नीचर एवं फिटिंग्स के लिए मूल्यह्रास दर 9.50% और कार्यालय उपकरणों के लिए 6.33% है। फर्नीचर एवं फिटिंग्स और कार्यालय उपकरणों दोनों पर 6.33% की दर से मूल्यह्रास लगाया गया है। इसी प्रकार, कार्यालय भवनों और फ़ैक्टरी भवनों को एक साथ जोड़ दिया गया है, हालांकि कार्यालय भवनों पर मूल्यह्रास दर 1.58% और फ़ैक्टरी भवनों पर 3.17% है। दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास 3.17% की दर से किया गया है। चालू वर्ष के मूल्यह्रास शुल्क और संचित मूल्यह्रास पर इन विचलनों के प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है।

हमने वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक (एसएसएस) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही स्वतंत्रता की आवश्यकताएँ जो अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- नोट 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों अनुच्छेद (क) लेखांकन प्रणाली की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने अपने लेखों को चालू व्यवसाय अवधारणा के आधार पर संकलित नहीं किया है। हालांकि, वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें परिसंपत्तियों के निपटान और देनदारियों के निपटान के मामले में सरकारी निर्देशों का उचित ध्यान रखा गया है।
- नोट 23 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो भारत सरकार को रु. 1,53,92,086.24 सैंकड़ा की राशि के शेयरों के आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि से संबंधित है और प्रबंधन का कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अव्यवहारिकता के बारे में विचार है। शेयरों का आवंटन 2016 से लंबित है।
- इन वित्तीय विवरणों के नोट 18 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें एक एमएसएमई विक्रेता के संबंध में मुकदमेबाजी या कालातीत देयता और एमएसएमई अधिनियम के अनुसार उस पर ब्याज का प्रावधान न करने के संबंध में उल्लेख है, जिसका प्रभाव अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।
- जैसा कि इन वित्तीय विवरणों के नोट 11 में उल्लेख किया गया है, कंपनी द्वारा वर्तमान में न्यायनिर्णयनाधीन दो लेनदारों के विवादित दावों, जिनकी कुल राशि 31,99,780.00 है, के मामले में न्यायालय के आदेशों के बाद प्राधिकारियों के पास कुल रु. 10,67,973.78 सैंकड़ा जमा किए गए हैं (नोट 26ए और 27 देखें)। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, न्यायालय के आदेश के बाद, कंपनी ने इनमें से एक दावे के संबंध में शत-प्रतिशत मार्जिन मनी के विरुद्ध 14,00,000.00 रुपये की बैंक गारंटी जमा की है (नोट 26बी देखें)। उक्त जमा राशियों/बैंक गारंटी के विरुद्ध कोई देयता स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि प्रबंधन, कानूनी राय के आधार पर, इस बात पर सहमत है कि मामले का निर्णय कंपनी के पक्ष में होगा।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- 5 अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट 11) के अंतर्गत दर्शाई गई रु.117,529.73 सैंकड़ा की जीएसटी क्रेडिट राशि का प्रबंधन द्वारा पूर्ण प्रावधान किया गया है और संबंधित प्रावधान को अल्पकालिक प्रावधानों (नोट 7) के अंतर्गत अलग से प्रकट किया गया है। जीएसटी क्रेडिट की वसूली अत्यंत संदिग्ध है और इसलिए इसे बोर्ड के अनुमोदन के अधीन बड़े खाते में डाला जाना है और संबंधित प्रावधान को वापस बड़े खाते में डाल दिया गया है। लंबित ऐसे समायोजन, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुल राशि में दोनों की रु. 117,529.73 सैंकड़ा की वृद्धि हुई है।
- 6 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (नोट 11) के अंतर्गत रु.12,82,819.15 सैंकड़ा (स्रोत पर आयकर कटौती सहित) के आयकर भुगतान दिखाया गया है और संबंधित देयता रु.11,82,033.47 सैंकड़ा की सीमा को अल्पावधि प्रावधान (नोट 8) के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। भुगतान किए गए आयकर की वसूली अत्यंत संदिग्ध है, इसलिए इसे बोर्ड की स्वीकृति के अधीन बड़े खाते में डाला जाना है और संबंधित प्रावधान को वापस लिखा जाना है। इसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुल राशि रु.11,82,033.47 सैंकड़ा अधिक दर्शाई गई है। लंबित ऐसे समायोजन, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुल राशि क्रमशः रु.12,82,819.15 सैंकड़ा और रु. 11,82,033.47 सैंकड़ा बढ़ जाती है।
- 7 हैदराबाद में परिसंपत्तियों (31 मार्च 2025 तक शुद्ध बही मूल्य रु.323,137.18, (नोट 6) के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है और संबंधित प्रावधान को अल्पकालिक प्रावधान (नोट 8) के तहत दिखाया गया है। क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की प्राप्ति बहुत संदिग्ध है और इसलिए बोर्ड के अनुमोदन के अधीन इसे बड़े खाते में डाला जाना है और संबंधित प्रावधान को वापस लिखा गया है। लंबित ऐसे समायोजन को तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों दोनों की कुल राशि में रु.323,137.18 की वृद्धि हुई है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

कंपनी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लेनदारों के दावों, कर्मचारियों के दावों आदि से संबंधित कई कानूनी मामलों में शामिल है, जैसा कि नोट 17 में उल्लेख किया गया है। प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी/रचनात्मक) हो, जिसके लिए नकदी बहिर्वाह की आवश्यकता होने की संभावना हो, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। आकस्मिक देनदारियों

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

कंपनी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, लेनदारों के दावों, कर्मचारियों के दावों आदि से संबंधित कई कानूनी मामलों में शामिल है, जैसा कि नोट 17 में उल्लेख किया गया है। प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी/रचनात्मक) हो, जिसके लिए नकदी बहिर्वाह की आवश्यकता होने की संभावना हो, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। आकस्मिक देनदारियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता न हो। जब कोई संभावित या वर्तमान दायित्व हो जहाँ संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है। कंपनी के समापन समूह द्वारा दावों को आकस्मिक दायित्व मानने और उनकी मात्रा तय करने के मामले में दिए गए निर्णय को बहुत उच्च माना जाता है। यह निर्णय कोर ग्रुप द्वारा की गई अनेक मान्यताओं और आकलनों पर आधारित है, जिसमें विभिन्न लागू नियमों, विनियमों, प्रथाओं आदि की व्याख्या शामिल है। इन मुकदमों के परिणामों से संबंधित अनिश्चितता, संबंधित राशियों के महत्व और प्रबंधन के निर्णय में निहित व्यक्तिपरकता को देखते हुए, इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया है।

उपरोक्त प्रमुख लेखापरीक्षा मामले पर विचार करते समय, हमने संबंधित दावों को आकस्मिक देनदारियों और इस प्रकार बताई गई राशियों के रूप में मानने के आधार के रूप में, संबंधित डीलिंग अधिवक्ताओं से कंपनी द्वारा ली गई कानूनी राय और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर विचार किया है।

अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट (बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित), कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक जानकारी में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ये रिपोर्टें हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना शासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की एक चालू/अचालक कंपनी के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल को कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

वित्तीय विवरणों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम धोखाधड़ी से उत्पन्न गलतबयानी त्रुटि से उत्पन्न गलतबयानी की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(c) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चल रही चिंता के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चल रही चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। हमने निष्कर्ष निकाला है कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, और हमने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हमारे निष्कर्ष अब तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, और यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना पैदा करती है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

हम शासन के उन प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कई महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जो हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम शासन के उन प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- I. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित, हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ए' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुपालन में, हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ख' में निर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण देते हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बही रखी गई है, जैसा कि उन लेखा-बही की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।
 - ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बही के अनुरूप हैं।
 - घ) उपरोक्त पैराग्राफ में अर्हताप्राप्त राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - ङ) निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के आधार पर कंपनी पर लागू नहीं होती है।
 - च) कंपनी के निदेशकों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के मद्देनजर लागू नहीं होते हैं।
 - छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है।
 - ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, यथासंशोधित, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं, जिनके संबंध में देनदारियों का या तो प्रावधान किया गया है या आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है - वित्तीय विवरणों के नोट 17 का संदर्भ लें। कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इन लंबित मुकदमों का प्रभाव उनके न्यायिक निर्णय के अधीन है।
- ii. कंपनी ने कोई दीर्घावधि अनुबंध सहित योगिक अनुबंध नहीं किया है जिसके लिए किसी मामले में निकटतम हानि होते।
- iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष में किसी रकम का हस्तांतरित होने वाला कोई रकम नहीं है।
- iv. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या नहीं, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी या सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।
- v. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या नहीं, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थियों') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।
- vi. हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त खंड (iv) और (v) के तहत प्रतिनिधित्व में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- vii. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों का अनुपालन वर्ष के लिए लागू नहीं था।
- viii. कंपनी अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित किया गया है और ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN: 302039E

(सीए श्यामसुंदर राय)
साझेदार
सदस्यता संख्या 053569
IN: 25053569BPUBAJ1840
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19.08.2025



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

‘अनुलग्नक - क’
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा
परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं
पर रिपोर्ट’ शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर और उन जाँचों के आधार पर जिन्हें हमने आवश्यक समझा, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

(a) (A) कंपनी ने अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं;

(ख) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(i)(क)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है। तथापि, उपर्युक्त अचल संपत्ति रजिस्टर के अभाव में, यदि कोई विसंगतियाँ थीं, तो उनका पता नहीं लगाया जा सका। भूमि के संबंध में, कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और परिणामस्वरूप, कंपनी के कब्जे में कुल भूमि क्षेत्रफल और यह भार या प्रतिकूल कब्जे से मुक्त है या नहीं, इसका पता नहीं लगाया जा सका।

(ग) स्थाई संपत्तियों के मात्रात्मक अभिलेखों के अभाव में, कंपनी के कुल भूमि क्षेत्रफल की पहचान हम नहीं कर सके। हमने रूपनारायणपुर स्थित 905.84 एकड़ भूमि के स्वामित्व विलेख देखे हैं। इसके अतिरिक्त, हैदराबाद स्थित भूमि के संबंध में, 324 एकड़ 35 गुंटा भूमि क्षेत्रफल के स्वामित्व विलेखों की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई गई है, जिसके अनुसार उक्त भूमि कंपनी के नाम पर है। -

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए आदेश का खंड 3(i)(क)(घ) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ङ) जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 वर्ष 1988) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii)(क) लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई इन्वेन्ट्री नहीं थी, इसलिए आदेश का खंड 3(ii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ख) कंपनी को वर्ष के किसी भी समय कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है, इसलिए आदेश का खंड 3(ii)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होता।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



गुहानन्दी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा लेखा-बही की जाँच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी कंपनी में निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। परिणामस्वरूप, आदेश के खंड iii(a),(b),(c),(d),(e) और (f) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की जाती है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा जाँचे गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, कोई ऋण नहीं दिया है, कोई गारंटी नहीं दी है या दूसरों को कोई प्रतिभूतियाँ प्रदान नहीं की हैं और इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 185 और 186 लागू नहीं होती हैं।
- (v) कंपनी ने जमा राशि या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है और इसलिए आदेश का खंड 3(v) इस वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (vi) कंपनी की विनिर्माण गतिविधियाँ लंबे समय से बंद हैं और भारत सरकार ने कंपनी को बंद करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, इसलिए लागत अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित आदेश का खंड 3(vi) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर या किसी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तकों में कटौती/उपार्जित राशियाँ आमतौर पर कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के पास इस अवधि के दौरान नियमित रूप से जमा की गई हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर उल्लिखित प्रकृति का कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया 31 मार्च, 2025 तक देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं था, सिवाय नीचे उल्लिखित के।

विवरण	रकम सैकड़ों में रु.
हैदराबाद और रूपनारायणपुर स्थित भूमि के संबंध में संपत्ति कर	517,815.47
कुल	517,815.47

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक विवाद के कारण कंपनी द्वारा निम्नलिखित वैधानिक बकाया राशि जमा नहीं की गई है:

क्र. सं.	कानून	बकाये के प्रकार	फोरम	रु. सैकड़ों में	वर्ष
	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस पर आधारित आयकर अतिरिक्त मांग	सीआईटी (अपील)	12,000	2013-14
	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस पर आधारित आयकर अतिरिक्त मांग	डीसीआईटी कोलकाता	63,880	2020-21
	कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	धारा 14बी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति और धारा 7क्यू के अंतर्गत ब्याज का अधिरोपण	ईपीएफओ, इलाहाबाद	13,500	अप्रैल 2013 से जनवरी 2017

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 3 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क



गुहा नंदी एंड कंपनी
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
 कॉमर्स हाउस,
 पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
 2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
 कोलकाता - 700 013
 दूरभाष: 033-22132929, 22132930
 ईमेल: guhanandi@gmail.com

- (viii) ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष के दौरान लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो और कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित या प्रकट न किया गया हो।
- (ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आर्थिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण के साधन सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है, इसलिए आदेश का खंड 3(x) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xi) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उस पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है, न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसे किसी मामले की सूचना दी गई है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अंतर्गत किसी भी पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ।
- (xiv) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के लिए किसी आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की है, जैसा कि बताया गया है और तदनुसार कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, अनुच्छेद 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xvi) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर -
- (क) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है;
- (ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं;
- (ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित एक मुख्य निवेश कंपनी नहीं है;
- (घ) कंपनी किसी ऐसे समूह से संबंधित नहीं है जिसके समूह में एक से अधिक सीआईसी हों।
- (xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष में रु. 4,23,487.47 सैंकड़ा और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में रु. 1,28,118.55 सैंकड़ा की नकद हानि हुई है।



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

- (xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है, इसलिए आदेश का खंड (xviii) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xix) केंद्र सरकार ने अपने दिनांक 28.09.2016 के पत्र द्वारा कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को बंद करने हेतु अनुमोदित रोडमैप के कार्यान्वयन हेतु कार्यमुक्त किया गया है। कंपनी की सभी विनिर्माण गतिविधियाँ 2005 से बंद थीं। तदनुसार, आदेश का खंड (xix), जो एक परिचालन कंपनी पर लागू होता है, कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xx) कंपनी का अधिनियम की धारा 135(5) के अंतर्गत इस वर्ष कोई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड (xx) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xxi) कंपनी की कोई सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए खंड (xxi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

FRN: 302039E

(सीए श्याम सुंदर रॉय)

भागीदार

सदस्यता संख्या 053569

UDIN: 25053569BPUBAJ1840

स्थान: कोलकाता

दिनांक : 19.08.2025

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की 3 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

अनुलग्नक - ख

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को
समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
(हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा वित्तीय विवरणों के लिए दिए गए निर्देशों पर रिपोर्ट.

1. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण का खातों की अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का भी उल्लेख किया जाए।

हाँ, सभी लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं। हालाँकि, जैसा कि हमें बताया गया है, कुछ ऐसे कार्य/लेन-देन हैं जो प्रणाली के बाहर होते हैं, लेकिन कंपनी के खातों पर प्रभाव डालते हैं।

पूर्व की प्रथा के अनुसार, सभी लेन-देन उस सॉफ्टवेयर में मैन्युअल रूप से दर्ज किए जाते हैं जो नियमित लेखा पुस्तकों का रखरखाव करता है।

वर्तमान प्रथा के अनुसार, कुछ लेन-देनों के लेखांकन से छूट जाने की संभावना रहती है क्योंकि लेन-देन के निर्माण के समय लेखांकन लेन-देन का प्रवाह स्वचालित नहीं होता है। आईटी प्रणाली के बाहर लेन-देन के वित्तीय प्रभाव अनिश्चित हैं।

2. क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन हुआ है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा गया है?

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी ऋण और उस पर ब्याज का पुनर्गठन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप बट्टे खाते में डालने की छूट दी गई हो।

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 3 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

3. क्या केंद्र/राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।

जैसा कि हमें बताया गया है और उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है।

गुहा नंदी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN: 302039E

(सीए श्यामसुंदर रॉय)

साझेदार
सदस्यता संख्या 053569
UDIN: 25053569BPUBAJ1840

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 19.08.2025

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड की 3 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
भारत, कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

अनुलग्नक - ग

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के
खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2025 तक हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षा के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन के दायित्व

कंपनी के प्रबंधन पर इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा-परीक्षण हेतु जारी निर्देश टिप्पणी में दिये गये महत्वपूर्ण अंशों के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों के मानदण्ड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने का दायित्व होता है। इन दायित्वों के तहत ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के उपायों की रचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव करना होता है, जो कि व्यापार के सुगमतापूर्वक एवं प्रभावकारिता सहित प्रचालन को सुनिश्चित करे तथा कंपनी की नीतियों, संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों से बचाव एवं पहचान, खाता लिखित रिकॉर्डों की सटीकता एवं सम्पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं के समयानुसार प्रकाशन को सुनिश्चित करे, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आवश्यक हैं।

लेखा-परीक्षक के दायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने लेखा-परीक्षण के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत प्रकट करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार की है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना गया है, जो वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है। ये मानदण्ड एवं निर्देश टिप्पणी, जिनका हम अनुपालन करते हैं, लेखा-परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं एवं योजना के माध्यम से उचित आश्वासन देते हैं कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं रखा गया और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रिक मामलों में प्रभावी तरीके से प्रचालित हुए हैं।



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

हमारा लेखा-परीक्षण कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा-साक्ष्य प्राप्त करने हेतु विधियों का निष्पादन करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक नियंत्रण को बनाना एवं प्रचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है। इस क्रम में प्रयुक्त विधि का चुनाव लेखा-परीक्षण के निर्णय के अनुसार होता है, जो कि वित्तीय विवरणों के सामग्रिक गलत बयानी के जोखिम, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न, सहित अनेक मुद्दों पर विचार कर किया जाता है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तात्पर्य

किसी कंपनी का वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी विधि है, जिसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के बारे में सामान्यतया स्वीकृत खाता लेखन सिद्धांतों के अनुसार पर्याप्त आश्वासन प्राप्त हो सके। किसी कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तहत वो नीतियाँ एवं विधियाँ होती हैं, जो कि (1) रिकॉर्डों के रख रखाव, कंपनी के लेनदेन एवं संपत्तियों के बारे में पर्याप्त विवरण एवं सटीकता सहित हों; (2) इस बारे में यह आश्वासन दें कि वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक लिखे गये लेनदेन के विवरण सामान्यतया स्वीकृत खाता लेखन मानदण्डों के अनुसार है तथा कंपनी की प्राप्ति एवं व्ययों को कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों द्वारा प्राधिकृत तरीकों से ही किया जाता है; एवं (3) किसी भी प्रकार की अनाधिकृत प्राप्तियों या कंपनी की संपत्तियों की बिक्री के निरोध या समयानुसार पहचान के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करे, जो कि वित्तीय विवरणों पर सामग्रिक प्रभाव डाल सकती हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अंतर्निहित बाध्यताएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवी मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

राय

'भौतिक कमज़ोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना बनती है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में किसी भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकता। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित भौतिक कमज़ोरियों की पहचान की गई है:

कंपनी ने 2016 से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की है और यह बंद होने की प्रक्रिया में है। कंपनी के पास कंपनी बंद करने की गतिविधियों के लिए नियुक्त एक बंद करने वाले समूह को छोड़कर कोई नियमित जनशक्ति नहीं है। परिणामस्वरूप, कोई औपचारिक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद नहीं है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता महसूस की है, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में:

- (i) पूर्व अवधि के खर्चों को दर्ज करने से बचने के लिए खर्चों की समय पर पहचान की आवश्यकता।
- (ii) उचित लेखांकन समायोजन के लिए पुरानी देनदारियों की नियमित समीक्षा।
- (iii) आकस्मिक देनदारियों की पहचान, समीक्षा और प्रकटीकरण।
- (iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का नियमित मूल्यांकन ताकि उनकी वहन राशि और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर उनका भुगतान किया जा सके।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



गुहा नंदी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
पाँचवीं मंजिल, कमरा 8डी और ई,
2ए, गणेश चंद्र एवेन्यू,
कोलकाता - 700 013
दूरभाष: 033-22132929, 22132930
ईमेल: guhanandi@gmail.com

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर वर्णित भौतिक कमज़ोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2025 के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय ऊपर पहचानी गई और बताई गई भौतिक कमज़ोरियों पर विचार किया है और ये भौतिक कमज़ोरियाँ कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं, सिवाय इसके कि जैसा कि 'योग्य राय के आधार' पैराग्राफ में कहा गया है।

गुहा नंदी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN: 302039E

(सीए श्यामसुंदर रॉय)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 053569
UDIN: 25053569BPUBAJ1840
दिनांक : 19.08.2025



एक झलक में पिछला दस वर्ष

(रु. लाख में)

क्र.	विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1	वार्षिक लेन-देन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	शुद्ध लाभ	(274.19)	(447.28)	1573.83	8838.84	26956.07	1388.60	5185.59	70616.45	234846.15	(99411.81)
3	सकल ब्लॉक	2430.22	30638.61	2563.71	2563.71	2563.71	2563.71	2596.95	5321.38	45742.21	47425.26
4	मूल्यहास प्रावधान	1912.61	2068.82	1977.55	1948.02	1917.47	1886.47	1883.87	4362.36	42925.09	44151.43
5	शुद्ध ब्लॉक	517.61	*28569.79	*28740.94	615.68	646.23	677.24	712.08	959.02	2817.12	3273.83
6	शुद्ध चालू परिसंपत्ति कार्यकारी पूंजी	523.16	4384.55	6745.22	5141.00	(1311.57)	(33042.20)	(32179.21)	(37611.74)	(93417.65)	(115791.95)
7	नियोजित पूंजी	6566.93	32954.34	35486.16	5756.69	(665.33)	(30078.52)	(31467.13)	(36652.72)	(90600.53)	(112518.12)
8	सुरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353788.27
9	असुरक्षित ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0	1487.87	328531.76
10	शेयर पूंजी	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	486588.11	41936.11	41936.11
11	आरक्षित एवं अधिशेष	5674	**33715.37	**33869.92	5674	5674	5674	5674	5674	5674	5674
12	संचित हानि	(501085.43)	(500811.24)	(500363.96)	(501937.79)	(510776.63)	(537732.71)	(539121.32)	(544306.91)	(614923.37)	(849769.52)
13	शुद्ध मूल्य	(8825.15)	(8550.96)	(8101.85)	(9675.68)	(18514.52)	(45470.60)	(46859.21)	(52044.81)	(91756.77)	(802159.41)
14	कर्मचारियों की सं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1333

* टिप्पणी : *परिसंपत्तियों के शुद्ध ब्लॉक का मूल्य (2022-23) एवं (2023-24) परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और बिक्री के कारण समायोजित किया गया

** टिप्पणी : रिज़र्व और सरप्लस (2022-23) और (2023-24) में पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व शामिल है

*** टिप्पणी : वर्ष (2022-23) के दौरान किए गए परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के उलट होने के कारण परिसंपत्तियों के शुद्ध ब्लॉक (2024-25) का मूल्य समायोजित किया गया।

राष्ट्रीय कोष में अंशदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं	मद	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
1.	बिक्री कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	सीमा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	वेतन और मजदूरी पर आयकर (ठेकेदारों और परामर्श सेवाओं पर टीडीएस और संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर सहित)	0.17	0.16	11.92	0.11	0.10
5.	दर एवं कर	0.78	0.35	0.00	0.37	0.38
6.	लाइसेंस शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	जी एस टी सहित जी एस टी टी डी एस	0.18	0.20	0.27	0.07	0.07
	कुल	1.13	0.71	12.19	0.55	0.55

पंजीकृत कार्यालय:
167/ए, अजयनगर, 5वीं रोड
कोलकाता-700075
सी आई एन : U31300WB1952GOI020560

31 मार्च, 2025 को यथास्थिति तुलन-पत्र

		द्रष्टव्य सं	31 मार्च 2025 को यथा स्थिति (रु. सैकड़ों में)	31 मार्च, 2024 को यथा स्थिति (रु. सैकड़ों में)
क.	इक्विटी एवं देयताएं			
	1. शेयरधारक निधि			
क)	शेयर पूंजी	2	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
ख)	आरक्षित निधि और अधिशेष	3	(49,54,11,433.82)	(46,70,95,858.96)
			(88,23,321.32)	1,94,92,253.54
2.	आवंटन लंबित शेयर अप्लिकेशन राशि	23	1,53,92,086.24	1,53,92,086.24
3.	वर्तमान देयताएँ			
क)	अल्पकालिक उधार - -			
ख)	व्यापार देय राशि			
(i)	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों (एमएसएमई) का कुल बकाया	4	22,748.98	22,748.98
ii)	एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों को कुल बकाया राशि		1,500.00	1,500.00
ग)	अन्य चालू देयताएँ	5	8,19,511.72	3,08,365.56
घ)	अल्पकालिक प्रावधान	7	16,24,251.36	17,01,863.89
			24,68,012.06	20,34,478.43
	कुल		90,36,776.98	3,69,18,818.21
ख	परोसंपत्तियाँ			
1.	गैर चालू संपत्तियाँ			
क)	संपत्ति संयंत्र और उपकरण	6	5,17,607.08	2,85,69,789.43
ख)	गैर चालू वित्तीय संपत्तियाँ	12	55,28,000.00	19,30,000.00
			60,45,607.08	3,04,99,789.43
2.	चालू संपत्तियाँ			
क)	व्यापारिक प्राप्य	8	शून्य	शून्य
ख)	नकद और नकद समकक्ष	9	2,83,417.01	39,98,903.08
ग)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	10	12,84,369.95	12,29,893.93
घ)	अन्य चालू संपत्तियाँ	11	14,23,382.94	11,90,231.77
			29,91,169.90	64,19,028.78
	कुल		90,36,776.98	3,69,18,818.21
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	1.		

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

गुहा, नंदी एंड कंपनी के लिए,

चार्टर्ड अकाउंटेंट:

FRN: 302039E /

(श्यामसुंदर रॉय)

साझेदार

(एमएन; 053569)

UDIN:25053569BPUBAJ1840

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 19.08.2025

(उदय शंकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN-10842939

डी. सामंत

सलाहकार (वित्त एवं लेखा)



पंजीकृत कार्यालय:
167/ए, अजयनगर, 5वीं रोड
कोलकाता-700075
सी आई एन : L31300WB1952GOI020560

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

	दृष्टव्य सं	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)
I. आय			
बिन्नरी (जीएसटी सहित)		शून्य	शून्य
अन्य आय	13	4,11,030.96	3,93,582.83
कुल राजस्व		4,11,030.96	3,93,582.83
II व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	14	शून्य	शून्य
अन्य व्यय	15	8,34,518.43	521,701.38
मूल्यह्रास	6	12,544.29	12,424.97
कुल व्यय		8,47,062.72	5,34,126.35
III असाधारण मद और कर से पहले लाभ/हानि		(4,36,031.76)	(1,40,543.52)
असाधारण मदें	16 और 24	1,61,844.11	(3,352.71)
आयकर प्रावधान (पिछले वर्षों से संबंधित)		-	(3,03,382.61)
IV कर के बाद वर्ष का लाभ और हानि		(2,74,187.65)	(4,47,278.84)
प्रति शेयर आय - आधार और तनुकृत (रु.)	30	(0.01)	(0.01)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	1		

सहायक नोट वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है
हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

गुहा, नंदी एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट:
FRN: 302039E /
(श्यामसुंदर रॉय)
साझेदार
(एमएन; 053569)
UDIN:25053569BPUBAJ1840
स्थान: कोलकाता

(उदय शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN-10842939

डी. सामंत
सलाहकार (वित्त एवं लेखा)

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु (रु. सैंकड़ों में)
1	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि (-)	(2,74,187.65)	(4,47,278.84)
	इसके लिए समायोजन जोड़ें/(घटाएँ):		
	मूल्यह्रास	12,544.29	12,424.97
	वापस लिखी गई देनदारियों	1,64,541.25	-
	बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियाँ	(2,697.14)	(3,352.71)
	ब्याज आय	(4,10,534.96)	(3,93,582.83)
	पूर्व परिचालन नकदी प्रवाह कार्यशील पूंजी परिवर्तन	(5,10,334.21)	(8,31,789.41)
	समायोजन:-		
	व्यापार प्राप्त में कमी/वृद्धि	-	-
	ऋण और अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(54,476.02)	14,233.53
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(2,33,151.17)	(3,79,445.23)
	अल्पकालिक उधार में वृद्धि/(कमी)	-	-
	व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	-	-
	अन्य चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	5,11,146.16	73,170.01
	अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि/कमी	(77,612.53)	4,22,223.22
	गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	(35,98,000.00)	
		(34,52,093.56)	130181.53
	परिचालन नकदी प्रवाह कार्यशील पूंजी परिवर्तन	(39,62,427.77)	(7,01,607.88)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(39,62,427.77)	(7,01,607.88)
2	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद	(1,749.15)	(383.00)
	बेची/छोड़ी गई अचल परिसंपत्तियाँ	-	4,568.00
	बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियाँ	2,697.14	3,352.71
	प्राप्त ब्याज	4,10,534.96	3,93,582.83
	वापस लिखी गई देनदारियाँ	(1,64,541.25)	
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	2,46,941.70	4,01,120.54
3	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	-	0
	नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/कमी (-) (A+B+C)	(37,15,486.07)	(3,00,487.35)
	नकदी और नकदी समकक्ष (प्रारंभिक)	39,98,903.08	42,99,390.43
	नकदी और नकदी समकक्ष (समापन)	2,83,417.01	39,98,903.08
	(नोट 10 में दर्शाई गई मद के अनुसार नकदी और नकदी समकक्षों द्वारा दर्शाया गया)		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

गुहा, नंदी एंड कंपनी के लिए,

चार्टर्ड अकाउंटेंट:

FRN: 302039E /

(श्यामसुंदर रॉय)

साझेदार

(एमएन; 053569)

UDIN:25053569BPUBAJ1840

स्थान: कोलकाता

(उदय शंकर)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN-10842939

डॉ. सामंत

सलाहकार (वित्त एवं लेखा)



टिप्पणी 1 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

क) लेखांकन विधि

ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार ऐतिहासिक लागत प्रथा के अंतर्गत उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं। कंपनी ने अपने खातों को चालू व्यवसाय अवधारणा के आधार पर संकलित नहीं किया है। IND AS लागू नहीं है क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है और इसकी शुद्ध संपत्ति 200 करोड़ रुपये से कम है। कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन के परिसमापन आधार को अपनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, HCL को बंद करने, इसके सभी कर्मचारियों को VRS/VSS की पेशकश करने और सभी परिसंपत्तियों के निपटान को मंजूरी दी। तदनुसार, सभी कर्मचारियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के बाद 31.01.2017 को रिहा कर दिया गया और संयंत्र और मशीनरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुरूप निपटाया गया। उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के तहत कंपनी को बंद करने की अनुमति 31.05.2017 को दी है। वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और एचसीएल निर्देशानुसार परिसमापन/समापन की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास कर रही है। एचसीएल अब बंद हो चुकी है और बिना किसी संयंत्र, मशीनरी या कर्मचारियों के गैर-संचालन चरण में है। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पठित, परिसंपत्तियों के निपटान और देनदारियों के निपटान के मामले में सरकारी निर्देशों पर उचित विचार करते हुए तैयार किए गए हैं। 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बंद करने की मंजूरी की शर्त के अनुसार, डीएचआई द्वारा पत्र एफ. संख्या 1(13)/2003-पीई-II (वैल्यू X) दिनांक 06.10.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया, बंद करने का कार्यान्वयन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई को बंद करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना है। 28.09.2016 को, डीपीई दिशा-निर्देश ओएम संख्या डीपीई/5(1)/2014-वित्त (भाग) दिनांक 07.09.2016 के अनुसार बीमार/घाटे में चल रहे सीपीएसई को बंद करने के लिए प्रचलन में थे और यह कंपनी के लिए भी लागू है। दिनांक 07.09.2016 के उक्त दिशा-निर्देशों के बिंदु 14 और 15 के अनुसार, सभी देनदारियों का भुगतान करने के बाद परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय को भारत की समेकित निधि में जमा करना आवश्यक है और तत्पश्चात कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन करना आवश्यक है। वित्तीय विवरण परिसंपत्तियों के निपटान और देनदारियों के निपटान के मामले में सरकारी निर्देशों पर उचित विचार करते हुए तैयार किए गए हैं।

ख) संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि को छोड़कर, पीपीई की लागत में इसकी खरीद मूल्य, परिसंपत्तियों को इसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की लागत और निर्माण/अधिग्रहण के लिए आस्थगित ऋण/उधार निधि से संबंधित वित्तपोषण लागत शामिल है, जो उपयोग के लिए उपलब्ध होने तक की अवधि के लिए है। रूपनारायणपुर में फैक्ट्री के निर्माण के लिए कंपनी द्वारा उपयोग की गई भूमि का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1952-53 में निःशुल्क दिया गया था, जिसका आरंभिक मूल्य रु. 1530.00 (रु. सैकड़ों में) था।

इसी तरह, हैदराबाद में फैक्ट्री के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुफ्त में दी गई जमीन का मूल्य 300.00 (रु. सैकड़ों में) रुपये की मामूली कीमत पर आंका गया।



इन भूमियों का मूल्यांकन पूंजीगत आरक्षित खाते में उचित जमा के साथ किया गया है।

अब, कंपनी बंद होने के कारण, इसकी परिसंपत्तियों को निपटान हेतु रखा गया है। तदनुसार, लागू लेखांकन मानक का पालन करते हुए, परिसंपत्तियों को संबंधित वहन राशि और प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर रखा जाता है।

सी) मूल्यह्रास

संपत्तियों की मूल लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। फैक्ट्री ऑफिस बिल्डिंग और प्रशासनिक भवन पर @ 3.17%, आवासीय और गैर-आवासीय भवनों पर @1.58% और फर्नीचर और फिटिंग पर @6.33% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के जोड़/हटाने के लिए आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

डी) देयताएं

तुलन-पत्र की तिथि पर सभी ज्ञात और सुनिश्चित देयताएं, प्रकृति में अमूर्त को छोड़कर, प्रोद्भव आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

ई) पूर्व अवधि मदें

पूर्व अवधि मदें आय या व्यय हैं जो एक या अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों की तैयारी में त्रुटियों या कमीशन के परिणामस्वरूप वर्तमान अवधि में उत्पन्न होती हैं और तदनुसार हिसाब में ली जाती हैं।

एफ) चालू/गैर-चालू वर्गीकरण

वे परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनकी लेखा वर्ष की समाप्ति से 12 महीनों के भीतर वसूली/भुगतान किए जाने की उम्मीद है, उन्हें चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं।

जी) आकस्मिक देयता

कंपनी के पास विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों और तीसरे पक्षों के साथ मुकदमे चल रहे हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। यदि कोई वर्तमान दायित्व है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता है और दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान प्रत्येक विवाद की विशिष्ट परिस्थितियों के प्रबंधन के आकलन और प्रासंगिक बाहरी सलाह के आधार पर लगाया जा सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जाता है, तो प्रबंधन अपने सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार प्रावधान करता है। अन्य मामलों में राशियों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है।



एच) अनुमानों का उपयोग

लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाना आवश्यक है जो वित्तीय विवरण की तिथि पर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करें। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सैकड़ों में 31 मार्च, 2025 को यथा स्थिति	रु. सैकड़ों में 31 मार्च, 2024 यथा स्थिति
2 : शेयर पूंजी		
प्राधिकृत :		
रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/- प्रति शेयर के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	60,00,00,000.00	60,00,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं चुकता :		
पूर्ण चुकता रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 4,865,881,125 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 4,865,881,125 के इक्विटी शेयर)	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
(क) इक्विटी शेयर		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
जोड़ें : वर्ष के दौरान आवंटित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	48,65,88,112.50	48,65,88,112.50
	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % शेयर संख्या शेयरधारिता %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का % शेयर संख्या शेयरधारिता %
ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता का विवरण		
वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर		
रुपये 10/- के इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्ण भुगतान		
प्रमोटरों के नाम		
भारत के राष्ट्रपति	4,86,58,81,125 100.00%	4,86,58,81,125 100%
वर्ष के दौरान कंपनी के किसी निदेशक द्वारा कॉल का भुगतान बकाया नहीं है।		
3 आरक्षित आधिक्य		
आरक्षित पूंजी	1,830.00	1,830.00
(आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार से निःशुल्क अधिग्रहित भूमि के लिए ऋण को दशांता है)		
क	1,830.00	1,830.00
सामान्य आरक्षित		
प्रारंभिक शेष	56,72,163.18	56,72,163.18
अंतिम शेष	56,72,163.18	56,72,163.18
ख		
ग		
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित (नोट 34 संदर्भित करें)		
आधिक्य/(कमी)		
प्रारंभिक शेष	(50,08,11,239.35)	(50,03,63,960.51)
जोड़ें : वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(2,74,187.65)	(4,47,278.84)
अंतिम शेष	(50,10,85,427.00)	(50,08,11,239.35)
घ		
शुद्ध शेष क+ख+ग+घ	(49,54,11,433.82)	(46,70,95,858.96)

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ				
नोट	वर्तमान देयताएं	रु. सेकड़ों में		
		31 मार्च 2025 को यथा स्थिति	31 मार्च, 2024 को यथा स्थिति	
4	व्यापार देय			
	(i) सुक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) के कुल बकाया (द्रष्टव्य 17 (iii), 18 एवं 27)	22,748.98	22,748.98	
	(ii) एम एस एम ई के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	1,500.00	1,500.00	
		24,248.98	24,248.98	
		24,248.98	24,248.98	
5	गैर-चालू देयताएं			
	व्यय के लिए देयताएं	62,491.68	50,365.20	
	वैधानिक बकाया	6,69,192.38	1,08,558.19	
	कर्मचारी संबंधी देय राशियाँ	76,811.89	76,811.89	
	सुरक्षा जमा	11,015.77	72,630.28	
		8,19,511.72	3,08,365.56	
		8,19,511.72	3,08,365.56	
7	अल्पकालिक प्रावधान			
	कर्मचारी लाभ के लिए		82,998.28	
	ठेका श्रमिकों के वेतन के लिए	1,550.98	1,550.98	
	जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए	117,529.73	1,18,840.61	
	आयकर के लिए	11,82,033.47	11,75,336.84	
	हैदराबाद अचल संपत्तियों के लिए	3,23,137.18	3/23,137.18	
		16,24,251.36	17,01,863.89	
8	वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
	व्यापार प्राप्य	शून्य	शून्य	

व्यापार देय राशि काल प्रभावन अनुसूची					2024-25
एक वर्ष से कम					कुल (सेकड़ों में)
विवरण	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		
(i) एमएसएमई					
(ii) अन्य	1500.00			1,500.00	
(iii) विवादित बकाया एमएसएमई			22,748.98	22,748.98	
(iv) विवादित बकाया अन्य					

व्यापार देय राशि आयु निर्धारण अनुसूची					2025-26
एक वर्ष से कम					कुल (सेकड़ों में)
विवरण	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक		
(i) एमएसएमई					
(ii) अन्य	1500.00			1,500.00	
(iii) विवादित बकाया एमएसएमई			22,748.98	22,748.98	
(iv) विवादित बकाया अन्य					



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 6: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (स्वयं सैकड़ों में)

मद	स्वास्थ्य भूमि	एग्रीच रोड	भूमि विकास	फैक्ट्री व आकिस भवन	आवासीय भवन	गैर-आवासीय भवन	रेलवे साइडिंग	फर्निचर्स फिटिंग, कार्यालय, उपकरण	कंप्यूटर्स	कुल
लागत										
31-03-2024 तक	27961986.31	2375.95	230171.57	128999.10	1503938.48	318773.06	12589.07	209304.68	101714.02	30469852.24
वर्ष 2024-25 के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1749.15	1749.15
स्थानान्तरण/कटौतियाँ/										
01.04.2024 को समायोजन	27946530.33	0.00	0.00	0.00	94856.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28041387.21
(पुनर्मूल्यीकरण अर्हक निधि वापस लिखी गई)										
31-03-2025 तक	15455.98	2375.95	230171.57	128999.10	1409081.60	318773.06	12589.07	209304.68	103463.17	2430214.18
मूल्यहास										
31-03-2024 तक	0.00	2257.15	218662.94	119528.65	970580.94	282411.20	11959.59	198034.03	96628.30	1900062.80
वर्ष 2024-25 के लिए	0.00	0.00	0.00	440.04	11763.16	0.00	0.00	103.46	237.63	12544.29
स्थानान्तरण/कटौतियाँ/										
समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31-03-2025 तक	0.00	2257.15	218662.94	119968.69	982344.10	282411.20	11959.59	198137.49	96865.93	1912607.09
नेट ब्लॉक										
31-03-2024 तक	27961986.31	118.80	11508.63	9470.45	533357.54	36361.86	629.48	11270.65	5085.72	28569789.44
31-03-2025 तक	15455.98	118.80	11508.63	9030.41	426737.50	36361.86	629.48	11167.19	6597.24	517607.09
नेट ब्लॉक										
31-03-2025 तक	15455.98	118.80	11508.63	9030.41	426737.50	36361.86	629.48	11167.19	6597.24	517607.09

टिप्पणियाँ

- (1) परिसमापन पर इन वित्तीय विवरणों की तैयारी पर विचार आधार पर, इन नोटों में दर्शाई गई संपत्तियों प्रभावी रूप से निपटान के लिए रखी गई है और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तरीके से उनका निपटान किया जाएगा।
- (2.) एचसीएल को बेद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, कंपनी को तेलंगाना सरकार से दिनांक 16.07.2018 और 25.07.2018 को दो आदेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें कंपनी को हैदराबाद स्थित सरकारी भूमि और उस पर मौजूद संरचनाओं को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। कंपनी ने तदनुसार, 31 मार्च 2023 तक उक्त भूमि पर स्थित भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य के रूप में 323137.18 रुपये (सैकड़ों रुपये में) का प्रावधान किया है। कंपनी ने हैदराबाद उच्च न्यायालय से पुनः प्राप्ति आदेश पर स्थान आदेश प्राप्त कर लिया है। हैदराबाद की परिसंपत्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं लगाया गया है।
- क्वॉक 31.03.2023 तक संपूर्ण अपलिखित मूल्य का प्रावधान किया गया है।
- (3) 31.03.2023 को पुनर्मूल्यीकृत और 31.03.2024 को बकाया अवल संपत्तियों के विपक्ष पुनर्मूल्यीकरण अर्हक निधि में शेष राशि को वर्ष के दौरान उलट दिया गया है।
- (4) 14 मई, 2024 को खरीदे गए कंप्यूटर। आनुपातिक आधार पर मूल्यहास प्रदान किया गया।
- (5) फैक्ट्री कार्यालय और भवन की मूल लागत और पिछले वर्ष गोल्फ लिंक अपार्टमेंट की विक्री के कारण समायोजित मूल्यहास का आंशिक शेष।

उदय शंकर
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट		रु. सेकड़ों में	
		31 मार्च 2025 को यथास्थिति	31 मार्च 2024 को यथास्थिति
9	नकद एवं नकद समतुल्य		
	हाथ में नकद		-
	अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा में:		
	बैंक ऑफ बड़ौदा	-	16,09,000.00
	इंडियन बैंक	85,590.61	3,08,265.57
		85,590.61	19,17,265.57
	अनुसूचित बैंकों के चालू खातों में:		
	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,97,023.83	20,80,834.94
	इंडियन बैंक	802.57	802.57
		1,97,826.40	20,81,637.51
	नोट:		
	1. बीओबी के पास रु. 99,000/- रुपये की सावधि जमा राशि 50,000/- रुपये (सौ)		
	की बैंक गारंटी जारी करने के लिए ग्रहणाधिकार में है (नोट 25)	2,83,417.01	39,98,903.08
	(2) बीओबी के पास 1401000/- रुपये (सौ) की सावधि जमा राशि 14,00,000 रुपये (सौ)		
	की बैंक गारंटी जारी करने के लिए ग्रहणाधिकार में है (नोट 26बी)		
10	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		
	नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम:		
	शुद्ध माना गया	शून्य	383.78
	संदिग्ध माना गया	शून्य	4557.29
		-	4941.07
	घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान:	-	4560.77
		-	380.30
		-	380.30
	पूर्वदत्त व्यय	87.36	
	अन्य प्राप्त राशि	1,463.44	1,463.44
	आयकर और टीडीएस का अग्रिम भुगतान	1,07,482.31	52,713.35
	अग्रिम पूंजीगत लाभ कर	11,75,336.84	11,75,336.84
		12,82,819.15	12,28,050.19
		12,84,369.95	12,29,893.93
11	अन्य चालू संपत्तियाँ		
	सुरक्षा जमा	1,480.00	1,480.00
	मुकदमेबाजी के लिए न्यायालय में जमा	10,67,590.00	10,67,590.00
	जीएसटी प्राधिकरण के पास शेष (जीएसटी इनपुट क्रेडिट)	1,17,529.73	1,18,840.61
	3-12 महीनों के बीच परिपक्वता वाली बैंक जमा	2,36,783.21	-
	उपार्जित ब्याज	-	2,321.16
		14,23,382.94	11,90,231.77
		14,23,382.94	11,90,231.77
12	अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
	12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाएँ	55,28,000.00	19,30,000.00
		55,28,000.00	19,30,000.00



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	रु. सेकड़ों में		रु. सेकड़ों में	
	31 मार्च 2025 को यथास्थिति		31 मार्च 2024 को यथास्थिति	
13 अन्य आय				
अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज		4,10,534.96		3,87,699.84
आयकर वापसी पर ब्याज - वित्त वर्ष 2013-14			4312-35	
वित्त वर्ष 2023-24			1,570.64	
		<u>4,10,534.96</u>		<u>5,882.99</u>
विविध आय		496.00		-
		<u>4,11,030.96</u>		<u>3,93,582.83</u>
14 कर्मचारी का पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन और मजदूरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15ए अन्य व्यय:				
बिजली और ईंधन				
बिजली शुल्क		1,417.62		1,611.24
मरम्मत:				
अन्य		1,226.20		2,799.38
दरें और कर		238.57		236.90
रिटर्नशिप शुल्क (परामर्शदाता)		52,670.44		45,644.37
यात्रा और परिवहन		10,827.43		11,976.18
डाक, तार और टेलीफोन		1,482.56		1,287.03
अन्य पर ब्याज		8,129.91		1,601.96
बैंक शुल्क		4,298.04		655.09
लेखा परीक्षा शुल्क:-				
वैधानिक लेखा परीक्षा	1250.00		1,250.00	
कर लेखा परीक्षा	250.00	1,500.00	250.00	1,500.00
प्रबंधन सेवाएँ		9,574.96		4,792.00
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1,406.14		1,159.50
कानूनी व्यय		74,432.36		66,214.06
सुरक्षा व्यय		68,830.08		85,516.47
पेशेवर शुल्क- अन्य		7,758.20		9,053.30
पेशेवर शुल्क-पी.ओ.एच.डब्ल्यू अनुपालन		2,312.92		9,800.00
विविध व्यय		653.03		145.19
अन्य व्यय		1,941.14		3,711.51
भूमि राजस्व		77,576.58		35,237.00
किराया		9,475.00		11,008.79
जीएसटी व्यय (नोट 37 देखें)		31,897.64		5,787.47
		<u>3,67,648.82</u>		<u>2,99,737.14</u>

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट		रु. सेकड़ों में	रु. सेकड़ों में
		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
15बी	प्रावधान		
	संदिग्ध संपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान - जीएसटी इनपुट क्रेडिट	-	1,18,840.61
		-	1,18,840.61
15सी	पूर्व अवधि समायोजन :		
	अन्य व्यय /समायोजन (नोट 33 देखें)	4,66,869.61	1,03,123.63
		4,66,869.61	1,03,123.63
15	कुल (ए+बी+सी)	8,34,518.43	5,21,701.38
16	असाधारण मदे (नोट 24 देखें)		
	वापस लिखी गई देयता	1,64,541.25	शून्य
	बड़े खाते में डाली गई संपत्तियां	(2,697.14)	(3,352.71)
	स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	शून्य	शून्य
		1,61,844.11	(3,352.71)



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 17

	31.03.2025 को रु. सैकड़ों में	31.03.2024 को रु. सैकड़ों में
क) आकस्मिक देयता का प्रावधान नहीं किया गया है:		
i) मध्यस्थता के अधीन मामले-लेनदार अन्य न्यायालयीन मामले:	1,99,230.00	90,000.00
ii) गोयल गैस-इलाहाबाद के एक असुरक्षित लेनदार का दावा (मूलधन रु. 1,79,389.10 सैकड़ों और ब्याज रु.21,44,390.90 सैकड़ों)	23,23,780.00	22,15,000.00
iii) एबीआई पॉलिमर-रूपनारायणपुर के एक असुरक्षित लेनदार का दावा (मूलधन रु. 22,748.98 सैकड़ों और ब्याज रु.8,53,251.92 सैकड़ों)	8,76,000.00	7,43,000.00
iv) जॉय मों सोंतोपी-आरा मिल- रूपनारायणपुर के एक असुरक्षित लेनदार का दावा	1,93,310.00	3,10,000.00
v) विद्यावती कंस्ट्रक्शन - इलाहाबाद के एक असुरक्षित लेनदार का दावा	1,02,710.00	1,03,000.00
vi) डीएआरसीएल - असुरक्षित लेनदार	0	0
vii) मशीनो टेक्निक्स - इलाहाबाद के एक असुरक्षित लेनदार का दावा	31,000.00	0
viii) जेपी महाता - रूपनारायणपुर के एक असुरक्षित लेनदार का दावा, प्रबंधन के अनुसार देय नहीं	50,310.00	48,000.00
ix) कृष्णा ट्रेडर्स - रूपनारायणपुर के एक असुरक्षित लेनदार का दावा	2,000.00	2,000.00
x) अन्य विविध वाणिज्यिक मामले-	2,20,500.00	2,78,000.00
xi) आयकर मांग वित्त वर्ष 2014-15- क्षेत्राधिकार प्राधिकारी के समक्ष लंबित	12,000.00	12,000.00
xii) आयकर मांग वित्त वर्ष 2018-19- क्षेत्राधिकार प्राधिकारी के समक्ष लंबित	0	1,61,49,000.00
xiii) आयकर मांग वर्ष 2020-21- क्षेत्राधिकार प्राधिकारी के समक्ष लंबित	63,880.00	0
xiv) आयकर मांग वर्ष 2021-22- क्षेत्राधिकार प्राधिकारी के समक्ष लंबित	0	99,33,000.00
xv) उत्पाद शुल्क और उस पर ब्याज की अनुमानित राशि	0	3,52,000.00
xvi) कर का अधिरोपण भुगतान के समाधान के बिना ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 7Q के अंतर्गत लेवी	13,000.00	13,500.00
xvii) ठेकेदार का श्रम - समाप्ति के बाद की अवधि के लिए वेतन की मांग	31,000.00	31,000.00
xviii) वीआरएस की पुनर्गणना - अतिरिक्त वीआरएस अनुग्रह राशि की मांग	7,000.00	1,03,000.00
xix) समापन से पहले सेवानिवृत्त हुए पूर्व कर्मचारियों द्वारा वीआरएस का दावा -	1,12,000.00	1,12,000.00



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	31.03.2025 को रु. सैकड़ों में	31.03.2024 को रु. सैकड़ों में
xx) बाहरी लोगों ने एचसीएल से वेतन की मांग की, लेकिन उन्हें एचसीएल द्वारा न तो नियुक्त किया गया और न ही नौकरी से निकाला गया -	19,000.00	19,000.00
xxi) अनुशासनात्मक कार्यवाही और वेतन/बकाया वेतन की मांग के कारण सेवा समाप्त	1,11,000.00	60,000.00
xxii) पूर्व कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत अवकाश के लिए वेतन का दावा और परामर्श का दावा	32,000.00	32,000.00
xxiii) अनियमित कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों के समान वेतन की मांग की	9,69,000.00	9,69,000.00
xxiv) उप श्रम आयुक्त/औद्योगिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद - बर्खास्तगी के बाद आकस्मिक कर्मचारियों द्वारा वेतन की मांग	15,000.00	15,000.00
xxv) सी.जी. औद्योगिक न्यायाधिकरण - ठेकेदार द्वारा नौकरी समाप्त करने के बाद ठेकेदार मजदूरों ने वेतन की मांग की	90,000.00	90,000.00
xxvi) वेतन संशोधन के विरुद्ध बकाया राशि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण में लंबित	30,80,000.00	41,18,000.00
xxvii) सहायक श्रम आयुक्त द्वारा आकस्मिक श्रमिकों को प्रदान की गई शेष ग्रेच्युटी	2,55,000.00	2,55,000.00
xxviii) सहायक श्रम आयुक्त द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को प्रदान की गई शेष ग्रेच्युटी	26,000.00	26,000.00
xxix) 58-60 लंबित न्यायनिर्णयन हेतु के लिए वेतन और मजदूरी का दावा	45,93,600.00	50,08,000.00
XXX) विविध सेवा मामला - न्यायनिर्णयन के लिए कथित दावे के आधार पर अतिरिक्त वेतन की मांग	4,000.00	6,000.00
xxxi) नगर निगम कर, हैदराबाद भूमि -	0	4,08,578.00
xxxii) मल्लूर, हैदराबाद में एचसीएल के उद्देश्य से टीएसआईसी द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़े हुए मुआवजे की मांग	40,000.00	40,000.00
xxxii) 2017 में पूर्व मकान मालिक द्वारा खाली किए गए विविध मामले	20,000.00	20,000.00
कुल	1,34,92,320.00	4,15,61,078.00

ख) उपरोक्त मामले से संबंधित भविष्य के नकदी बहिर्वाह का निर्धारण विभिन्न मंचों/प्राधिकरणों में लंबित निर्णयों/फैसलों की प्राप्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम का कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रबंधन द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, किसी भी मामले में इस समय नकदी बहिर्वाह की परिकल्पना नहीं की गई है। किसी भी प्रतिपूर्ति की कोई संभावना नहीं है।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 18 जैसा कि कंपनी की निर्माण गतिविधियां 2005 से बंद है, कंपनी तब से कोई प्रकयोरमेंट नहीं बना रही है, जिसमें एम एस एम ई से सम्मिलित है। पूर्व अवधि वर्ष 2003 के संबंध में एम एस एम ई के रु. 22748.98 (रु. सैकड़ों में) (पूर्व वर्ष रु. 22748.98 (रु. सैकड़ों में) का पूराना बकाया शेष राशि है जो या तो समय बाधित है या तो समय या मुकदमा के अधीन किया गया है। अतः मूलधन पर ब्याज का एम एस एम ई अधिनियम के अनुसार प्रदान नहीं किया गया है। (नोट 27 देखें)

टिप्पणी 19 ईपीएफओ, दुर्गापुर द्वारा ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 7ए (1896994 सौ) और 14बी (2250711 सौ रुपये) के तहत दो मूल्यांकन आदेश और धारा 7क्यू के तहत 31.03.2018 तक ब्याज का भुगतान कंपनी द्वारा वैधानिक देयता के रूप में किया गया है। हालांकि, उपरोक्त दो आदेशों के खिलाफ कंपनी द्वारा ईपीएफएटी, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की गई थी और ये अब सीजीआईटी आसनसोल के समक्ष लंबित हैं।

टिप्पणी 20 ईपीएफओ, इलाहाबाद द्वारा ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 7क्यू के तहत ब्याज का मूल्यांकन किया गया जिसे कंपनी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और निर्धारण आदेश पर स्थगन प्राप्त है। राशि को आकस्मिक दायित्व में सम्मिलित किया गया है

टिप्पणी 21 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधान के अनुसार, 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। हैदराबाद के पीपीई पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है क्योंकि हैदराबाद में पीपीई का संपूर्ण मूल्य 2022-23 के लिए निर्धारित किया गया है (नोट 6)।

टिप्पणी 22 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.09.2016 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने सभी कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस की पेशकश करके और सभी परिसंपत्तियों के निपटान द्वारा एचसीएल को बंद करने को मंजूरी दी। डीएचआई ने 6 अक्टूबर, 2016 को पत्र संख्या 1(13)/2003-पीई-II (वॉल्यूम एक्स) के माध्यम से इसकी जानकारी दी। डीएचआई के तहत सीपीएसई को बंद करने के लिए अनुमोदित रोडमैप के कार्यान्वयन के लिए सभी कर्मचारियों को राहत देकर बंद किया जाना था। तदनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के बाद 31.01.2017 को सभी कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुरूप संयंत्र और मशीनरी का निपटान किया गया। उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(0) के तहत एचसीएल को बंद करने के लिए 31.05.2017 को अनुमति दे दी है। बंद करने के लिए डीएचआई द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ इक्विटी के रूप में निधि डाली गई थी, जिसका विवरण नोट संख्या 23 में दिया गया है। वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और एचसीएल निर्देशानुसार परिसमापन/ समापन की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास कर रहा है। एचसीएल अब बंद हो चुका है और बिना किसी संयंत्र, मशीनरी या कर्मचारी के गैर-संचालन चरण में है।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : वर्ष 2003 से कंपनी ने वेतन, मजदूरी और अन्य वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए भारत सरकार से समय-समय पर विभिन्न ऋण लिए हैं। 31.03.2016 तक ऐसे ऋणों का कुल योग 13,11,88,480 रुपये (सैकड़ों में) मूलधन और 18,16,60,970 रुपये (सैकड़ों में) ब्याज है, जो कुल मिलाकर 31,28,49,450 रुपये (सैकड़ों में) है। 01.04.2016 से 30.09.2016 तक की अवधि के दौरान 5,63,48,040/- (सैकड़ों में रुपये) का अतिरिक्त ब्याज अर्जित किया गया है। डीएचआई ने अपने पत्र संख्या 1(13)/2003-पीई II (vol-x) दिनांक 06.10.2016 के माध्यम से भारत सरकार के मौजूदा ऋण 34,67,15,000/- (सैकड़ों में रुपये) (अनुमानित) (मूलधन 131188,000/- (सैकड़ों में रुपये) और 30.09.2016 तक 21,55,27,000/- (सैकड़ों में रुपये) का ब्याज (इसके बाद ब्याज पर रोक) को 'इक्विटी में रूपांतरण' के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से अवगत कराया है।

हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को बंद करने के लिए 28.09.2016 को जारी अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान कंपनी को गैर-योजना इक्विटी के रूप में 2,58,50,000 रुपये (सैकड़ों में रुपये) और 1,41,50,000 रुपये (सैकड़ों में रुपये) कुल मिलाकर 4,00,00,000 रुपये (सैकड़ों में रुपये) की नकदी प्राप्त हुई है। उक्त राशि का उपयोग सुरक्षित उधारदाताओं को बकाया राशि के ओटीएस और लंबित वेतन, मजदूरी और वैधानिक बकाया के हिस्से के भुगतान के लिए किया गया था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी को गैर-योजना इक्विटी के रूप में नकदी प्रवाह की मंजूरी मिली जो 1,64,13,000/- रुपये (सैकड़ों में रुपये) और 4,69,32,000 रुपये (सैकड़ों में रुपये), 21,48,000/- (रु. सैकड़ों में) और 8,66,000 (रु. सैकड़ों में), इन राशियों का उपयोग शेष वेतन, मजदूरी और वैधानिक बकाया के भुगतान, वीआरएस मुआवजे के भुगतान जिसमें ग्रेच्युटी और टर्मिनल लीव इनकैशमेंट शामिल है, आकरिस्मिक श्रमिकों को भुगतान और ओ. मुन्नीस्वामी रेड्डी और अन्य के मामले में न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध भुगतान के लिए किया गया।

नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें मंजूरी आदेश संख्या, तारीख, आदि और आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि का समाधान शामिल है जिसकी राशि रु. 1,53,92,080 (रु. सैकड़ों में) है:

विवरण	राशि रु. में सैकड़ों	
	वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार का मूल ऋण राशि 1 अप्रैल 2016 तक	13,11,88,480.00	13,11,88,480.00
ऋण पर ब्याज 1 अप्रैल 2016 तक उपार्जित और बकाया	18,16,60,970.00	18,16,60,970.00
ऋण पर ब्याज 2016-2017 के लिए उपार्जित और बकाया	5,22,59,430.00	5,22,59,430.00
ऋण पर ब्याज उपार्जित लेकिन 30.09.2016 तक बकाया नहीं	40,88,610.00	40,88,610.00
कुल	36,91,97,490.00	36,91,97,490.00



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

2016-2017 के दौरान प्राप्त ऋण/इक्विटी राशि

क्र सं.	भारत सरकार का आदेश	ऑर्डर दिनांक	प्रकृति	राशि रुपये में सैकड़ों	
1	सं.1 (16)/2015-पीईII(I)	30.09.2016	गैर-योजना इक्विटी	2,58,50,000.00	2,58,50,000.00
2	सं.1 (16)/2016-पीई II (ii)	30.09.2016	गैर-योजना इक्विटी	1,41,50,000.00	1,41,50,000.00
3	सं.1 (3)/2013-पीई II (i)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	1,64,13,000.00	1,64,13,000.00
4	सं.1 (3)/2013-पीई II (v)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	4,69,32,000.00	4,69,32,000.00
5	सं.1 (3)/2013-पीई II(ii)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	21,48,000.00	21,48,000.00
6	सं.1 (3)/2013-पीई II(iii)	17.01.2017	गैर-योजना इक्विटी	866,000.00	8,66,000.00
कुल				10,63,59,000.00	10,63,59,000.00
घटाएँ : वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान भारत सरकार को हस्तांतरित राशि				1,50,00,000.00	1,50,00,000.00
घटाएँ : पूर्व वर्ष में आरक्षित अतिरिक्त व्याज का व्युत्क्रम				5,11,410.00	5,11,410.00
घटाएँ: कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड से एचसीएल के शेयरों की खरीद के लिए भारत सरकार की ओर से भुगतान की गई राशि				1,000.00	1,000.00
घटाएँ: भारत सरकार को आवंटित शेयर (10 रुपये प्रति शेयर के 4,44,65,20,000 शेयर को छोड़कर)				44,46,52,000.00	44,46,52,000.00
आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि				1,53,92,080.00	1,53,92,080.00

समापन प्रस्ताव डीएचआई, भारत सरकार द्वारा जुलाई/अगस्त 2016 के महीनों में तैयार किया गया था जिसे 28.09.2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, यह प्रस्ताव रु. 21,55,27,000 के अनुमानित व्याज पर आधारित था हालांकि 30.09.2016 को वास्तविक व्याज पिछले वर्षों में दर्ज 511000 सौ रुपये के अतिरिक्त व्याज को वापस लेने के बाद 23,74,98,000 सौ रुपये था

उपर्युक्त परिस्थितियों और डीएचआई द्वारा बकाया ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने की शक्तों को देखते हुए, कंपनी की राय में, शेयर प्रकटीकरण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न आवश्यकताएं और प्रकटीकरण और शेयर आवेदन राशि से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी के मामले में व्यवहार्य नहीं हैं।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 असाधारण मदें

शीर्ष	राशि(2024-25) रु. सैकड़ों में	राशि(2024-25) रु. सैकड़ों में	राशि(2023-24) रु. सैकड़ों में
बट्टे खाते में डाली गई संपत्तियाँ			
किराया प्राप्तियाँ - स्थानारायणपुर	(-)375.98		
उपार्जित ब्याज	(-)2321.16	(-)2697.14	(-)3,352.71
वापस ली गई देनदारियाँ			
वापस ली गई जीएसटी का प्रावधान	1,310.88		
स्थानारायणपुर - 58-60 मामले में बकाया वेतन	8,300.00		
अवैतनिक वीआरएस (2011-2012)	6,404.81		
मकान किराए के विरुद्ध जमा (वीआरएस मामले)	7,097.10		
सुरक्षा जमा (लाइसेंस शुल्क)	3,430.17		
सुरक्षा जमा (मेसर्स सिमकॉम एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड)	55,000.00		
पूर्व कर्मचारियों के अवकाश वेतन का प्रावधान	82,998.28	1,64,541.25	
कुल		1,61,844.11	(-)3352.71

नोट 25 : माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश संख्या: क्रम/1/2020 दिनांक 15 नवंबर, 2021 के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में रखी गई सावधि जमा राशि के विरुद्ध 50,000/- रुपये (सैकड़ों में) प्रति वर्ष की राशि की बैंक गारंटी दिनांक 14.12.2021 को जारी की गई है। यह राशि मेसर्स जॉय मा संतोषी सॉ मिल के विरुद्ध लंबित एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्टर में प्रस्तुत की गई है। इसे 14.12.2024 से 14.12.2025 तक नवीनीकृत किया गया है।

नोट 26A अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट 12ए) में 6,67,560/- रुपये (सैकड़ों में) (छह करोड़ सड़सठ लाख छप्पन रुपये) की राशि शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केस संख्या ओएमपी(ईएनएफ)(कॉम)263/2018 (मेसर्स गोयल एमजी गैस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एचसीएल) में पारित दिनांक 21.11.2022 के आदेशों और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के तहत अपील, केस संख्या 65/2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.09.2022 और 28.07.2023 के आदेशों के अनुसार पिछले वर्ष रु. 6,67,560/- (सैकड़ों में) (छह करोड़ सड़सठ लाख छप्पन हजार मात्र) दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्टर में जमा किए गए। मुकदमे के अधीन रु. 23,23,780/- (सैकड़ों में) की राशि का खुलासा आकस्मिक देयता (नोट 17(ii)) के तहत किया गया है।



31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट: 26बीडिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिनांक 10.12.2024 को अपने ऑर्डर द्वारा, केस संख्या (EFA)(OS) (COMM) 6/2024, (हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड - बनाम मेसर्स गोयल एमजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड) में, कंपनी को ऑर्डर की तारीख से एक महीने के भीतर रु. 14,00,000 (सैकड़ों में) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

तदनुसार, कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को दिनांक 04.01.2025 को (03.01.2026 तक वैध) 14,00,000 रुपये (सैकड़ों में) की बैंक गारंटी जमा की है, जिसकी संख्या 0856IGFO00077025 है और जो कंपनी की सावधि जमा के साथ सुरक्षित है। उक्त बैंक गारंटी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में रखी गई सावधि जमा के विरुद्ध जारी की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 12.03.2025 के आदेश द्वारा उक्त बैंक गारंटी को स्वीकार कर लिया है।

नोट 27:- अन्य परिसंपत्तियों (नोट 12ए) में 4,00,030/- रुपये (सैकड़ों में) (चार करोड़ तीन हजार रुपये मात्र) की राशि शामिल है, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गांधीनगर, गुजरात 2022 के केस संख्या सीएमए 76 (एचसीएल बनाम मेसर्स एवीआई पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड) में दिनांक 12.01.2023 के आदेश के अनुसार जमा किया गया था। मुकदमे के अंतर्गत 8,76,000/- रुपये (सैकड़ों में) की दावा राशि का खुलासा आकस्मिक देयता (नोट 17 (iii)) के अंतर्गत किया गया है।

नोट 28 AS-18 'संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसार जानकारी। साल के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई भी लेनदेन नहीं हुआ है।

नोट 29:- चूंकि कंपनी की विनिर्माण गतिविधियां लंबे समय से बंद हैं, इसलिए भारत सरकार ने कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है, इसलिए खंड परिणाम तैयार किए गए हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 30

प्रति शेयर आय की गणना:	2024-2025	2023-2024
लाभ और हानि खाते के अनुसार (सेकड़ों में) लाभ/(हानि)	-2,74,187.65	-4,47,278.84
शेयरों की भारत औसत संख्या	4,86,58,81,125	4,86,58,81,125
प्रति शेयर आय	-0.01	-0.01

नोट 31

अनुपात	31 मार्च को 2025	31 मार्च को 2024	विचरण	विचरण का कारण
वर्तमान अनुपात	1.21	3.16	-1.95	दीर्घकालिक एफडी को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करने से वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी
ऋण इक्विटी अनुपात	0.00	0.00	0.00	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	-0.001	0.064	-0.063	वर्ष के दौरान हुई हानि में वृद्धि के कारण
इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
शुद्ध लाभ अनुपात	-1.06	-0.36	0.70	वर्ष के दौरान हुई हानि में वृद्धि के कारण
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	-0.066	0.020	-0.046	वर्ष के दौरान हुई हानि में वृद्धि के कारण
निवेश पर प्रतिफल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

1. असाधारण मदों से पहले शुद्ध लाभ पर विचार किया गया है

नोट 32 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ: चूँकि कंपनी के वेतन-पत्र पर कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए राशि शून्य दर्शाई गई है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 33:- नोट संख्या 15सी में लाभ-हानि खाते में पूर्व अवधि समायोजन निम्नलिखित मदों का गठन करता है।

विवरण	राशि (सैकड़ों रुपये में)	
	2024-25	2023-24
संपत्ति कर पर ब्याज (पूर्व अवधि) - हैदराबाद	2,43,878.40	23.67
सीजे डीएआरसीएल पर ब्याज (पूर्व अवधि)	-	24,249.31
भू-राजस्व (पूर्व अवधि) - हैदराबाद	2,25,669.89	35,237.00
संपत्ति कर पर जर्माना (पूर्व अवधि)	-	17.59
संपत्ति कर पूर्व अवधि व्यय	-	1,133.01
परिवहन शुल्क सीजे डीएआरसीएल (पूर्व अवधि)	-	42,463.05
भू-राजस्व पर ब्याज (आरएनपीआर) (पूर्व अवधि)	11,011.57	-
आयकर वापसी (वित्त वर्ष 2013-14) - नीचे नोट देखें;	(-)13,690.25	-
कुल	4,66,869.61	1,03,123.63

14 मार्च, 2024 को कंपनी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिफंड के रूप में 18,002.60 रुपये (सैकड़ों में) की राशि प्राप्त हुई। रिफंड का ब्याज वाला हिस्सा पिछले वर्ष के राजस्व में ले लिया गया। मूल्यांकन पूरा होने के बाद शेष रकम 13,690.25 रुपये को चालू वर्ष में पूर्व अवधि की आय में ले लिया गया है क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।

नोट 34

पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि:		राशि (सैकड़ों रुपये में)	
विवरण		2024-25	2023-24
1. वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		2,80,41,387.21	2,81,95,931.47
2. वर्ष के दौरान बनाया गया पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि		0	0
3. पुनर्मूल्यांकन वृद्धि पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि के विरुद्ध समायोजित		0	2958.10
4. निपटाई गई परिसंपत्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि		0	151,586.16
5. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि वापस कर दी गई		2,80,41,387.21	
6. वर्ष के अंत में शेष राशि		शून्य	2,80,41,387.21

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी कुछ अचल संपत्तियों, अर्थात् रूपनारायणपुर स्थित भूमि, गोल्फ लिंक अपार्टमेंट्स और जोधपुर पार्क स्थित फ्लैट्स और रासबिहारी एवेन्यू, कोलकाता स्थित भवन का पुनर्मूल्यांकन किया था और समतुल्य राशि के पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व के सृजन के विरुद्ध संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करके रुपये 2,81,95,931.47 सैंकड़ा की पुनर्मूल्यांकन वृद्धि को मान्यता दी थी।

कंपनी ने बाद में निर्णय लिया कि 31 मार्च, 2024 को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि का शेष राशि को लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. डीपीई/11/(09)-2022-डीडी दिनांक 23 अगस्त, 2022 को भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और भारी उद्योग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 9-01(1)/2020-पीई-II(ई)/21334 दिनांक 15 फरवरी, 2023 की पृष्ठभूमि में उलट दिया जाए, जिसमें निर्देश दिया गया था कि कंपनी की सभी गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय भूमि मुद्राकरण आयोग (एनएमएलसी) को पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित किया जाना था। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 को विद्यमान पुनर्मूल्यांकन वृद्धि का शेष रुपये 2,80,41,387.21 सैंकड़ा है (मूल्यहास और बेची गई परिसंपत्तियों से संबंधित राशि को घटाकर, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है) 1 अप्रैल, 2024 को अर्थात् चालू अवधि के खातों में उलट दिया गया है।

नोट 35

(ए) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ: मुकदमेबाजी के मामलों के लिए न्यायालय में जमा:
इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

विवरण	राशि (सैंकड़ों रुपये में)	
	2024-25	2023-24
ऋणादाता (एवी पॉलीमर) के लिए न्यायालय में जमा	4,00,030.00	4,00,030.00
गोयल गैस के लिए न्यायालय में जमा	6,67,560.00	6,67,560.00
(बी) नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम:		
विवरण	राशि (सैंकड़ों रुपये में)	
सीबीए एंड एसोसिएट्स को अग्रिम	-	7.80
किराया प्राप्ति	-	375.98
		383.78

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 36 (ए)

प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('मध्यस्थ' शामिल हैं) इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी के 'अंतिम लाभार्थियों' द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(बी)

प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाले पक्ष) शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि देने वाले पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।

नोट 37:-

रु. 15376.86 सैंकड़ा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आरसीएम) और रु. 16,520.78 सैंकड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी) की राशि को जीएसटी व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में जमा किया गया है। चूंकि कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, इसलिए इस क्रेडिट का समायोजन संभव नहीं है।

नोट 38:-

चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित एमएटी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी एक रुण कंपनी है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के अंतर्गत इसका कोई बही लाभ नहीं है। इसके अलावा, यह 2002 में बीआईएफआर के साथ संख्या 505 के तहत पंजीकृत थी और वर्ष के अंत तक इसका निवल मूल्य ऋणात्मक बना हुआ है।

नोट 39:-

हैदराबाद में 324 एकड़ 35 गुंटा ज़मीन राज्य सरकार द्वारा 1971-72 के दौरान अधिग्रहित की गई थी और कंपनी को एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए निःशुल्क सौंप दी गई थी। कंपनी ने उस पर अपनी लागत से कई इमारतें और अन्य संरचनाएँ बनवाई थीं।

तेलंगाना सरकार (टीजी) ने 16 जुलाई 2018 और 25 जुलाई 2018 को दो पुनर्ग्रहण आदेश जारी किए, जिनमें सरकारी संरक्षण में मौजूद संपूर्ण भूमि, उस पर मौजूद संरचना सहित, पुनर्ग्रहण की गई। कंपनी ने पुनर्ग्रहण आदेशों को चुनौती देते हुए माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं और स्थगन आदेश प्राप्त किए। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्रेटर हैदराबाद नगर पालिका निगम (जीएचएमसी) का वेब पोर्टल उक्त भूमि पर बकाया नगरपालिका कर की मांग दर्शा रहा है। हालाँकि, कंपनी को कोई आधिकारिक वसूली नोटिस या मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए नगरपालिका कर का भुगतान किया। पुनर्ग्रहण आदेशों और उपरोक्त न्यायालय में विचाराधीन स्थिति को देखते हुए, कंपनी ने पुनर्ग्रहण आदेशों की तिथि, अर्थात् जुलाई 2018 से नगरपालिका कर की देयता को मान्यता देना बंद कर दिया और 31 मार्च, 2024 तक आकस्मिक देयता के तहत देय राशि दिखाई।

हालाँकि, बाद में कंपनी ने निर्णय लिया कि जुलाई 2018 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए नगरपालिका कर के लिए 2024-25 के वार्षिक लेखों में प्रावधान करने हेतु पर्याप्त सावधानी बरती गई है और इसके लिए (ब्याज सहित) 5,17,815.47 रुपये (सैंकड़ों में) का प्रावधान किया है। रिट याचिका के निपटारे के अनुसार, इस पर समय रहते विचार किया जाएगा।

चूंकि, बकाया नगरपालिका करों के भुगतान के संबंध में जीएचएमसी की ओर से कोई औपचारिक मांग नहीं की गई है, इसलिए कंपनी ने रिट याचिकाओं के निपटारे तक वास्तविक भुगतान को स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 40:-

परिसमापन की स्थिति:

परिसमापन गतिविधि	नोट संख्या:	की गई कार्रवाई
परिसंपत्तियों का निपटान/बिक्री	नोट संख्या 6	संयंत्र और मशीनरी, स्थानारायणपुर स्थित फ़ैक्टरी शेड, नरेंद्रपुर स्थित भूमि, जोधपुर पार्क स्थित फ़्लैट, गोल्फ लिंक अपार्टमेंट, कोलकाता और इलाहाबाद स्थित फ़्लैट का निपटान कर दिया गया है। बहीखातों में शेष परिसंपत्तियाँ जिनका निपटान किया गया है प्रक्रियाधीन है: स्थानारायणपुर में भूमि एवं भवन, हैदराबाद में भूमि एवं भवन (न्यायालय में विचाराधीन), कोलकाता में रासबिहारी अतिथि गृह। 31.03.2016 को कंपनी के बंद होने और व्यावसायिक गतिविधियों के बंद होने के समय, कंपनी के चालू खातों और बैंकों में सावधि जमा में रु. 33,10,027.59 सैंकड़ा थे। कर्मचारियों, लेनदारों आदि के विभिन्न बकाया चुकाने के लिए बंद होने के निर्णय के बाद प्राप्त निधि में से सरकारी निधि का शेष भाग, और आयकर व्यय एवं जमा को घटाकर निपटाई गई परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय और कुछ मुकदमेबाजी देनदारियों के लिए न्यायालय में जमा की गई बैंक गारंटी के लिए 100 प्रतिशत मार्जिन राशि, बकाया राशि के निपटान तक बैंक में सावधि जमा में रखी गई है। इस प्रकार, बैलेंस शीट की तिथि अर्थात् 31.03.2025 को चालू खातों और सावधि जमा में कुल राशि 60,48,200.22 सौ रुपये थी।
देनदारियों का भुगतान	नोट संख्या 4 और 5	संबंधित मामलों के निपटारे तक विवादित व्यापारिक देयताओं और वैधानिक देयताओं का भुगतान नहीं किया गया है।
आकस्मिक देयताएँ	नोट संख्या 17	कंपनी द्वारा और उसके विरुद्ध दायर मामले जो विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

नोट 41:- पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्व्यवस्थित और पुनर्समूहीकृत किया गया है।

हमारी सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

गुहा नंदी एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

FRN: 302039E

एस एस रॉय:
साझेदार
(MN:053569) उदय शंकर
(UDIN: 25053569BPUBAJ1840)
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 19.08.2025

(उदय शंकर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डी. सामंत
सलाहकार (F&A)



हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

(भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के अधीन)

वेबसाइट : www.hindcables.net

नैगम एवं पंजीकृत कार्यालय

167/ए, अजय नगर (5वीं रोड), कोलकाता-700075

ई-मेल : hindustancablesltd.kolkata@gmail.com

रूपनारायणपुर इकाई

पोस्ट : हिन्दुस्तान केबल्स

रूपनारायणपुर-713 335

जिला : पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल

ई-मेल : ojharavi7@gmail.com

रूपनायारणपुर अभिलेख कार्यालय

पहली मंजिल, माया इनक्लेव, एस बी गोराई रोड (मिडल), विद्यासागर मैदान के निकट,

आसनसोल-713301

हैदराबाद इकाई

पोस्ट हिन्दुस्तान केबल्स

हैदराबाद -500 051, तेलंगाना

ई-मेल : hindustan_cables@yahoo.com

इलाहाबाद इकाई

हाउस नं 101/62 का प्रथम मंजिल, स्थित मोहल्ला, सलोरी

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211004

ई-मेल : 016paras@gmail.com